JCI

भा प नि

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2021-22

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

Independence Day being celebrated at the Head Office of the Corporation

Celebration of International Yoga Day at the Head Office

Activities under JUTE-ICARE Project at Hariharpara DPC

Blood Donation Camp being organised at the Head Office to observe World Blood Donor Day

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

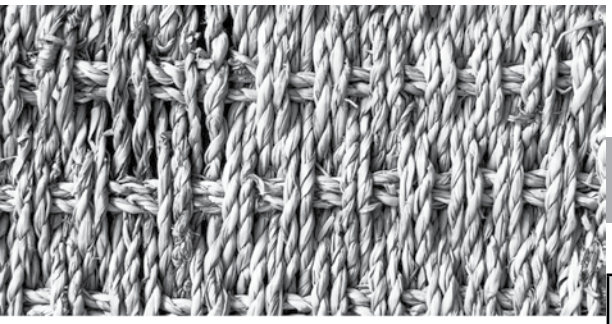

51वीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

1.	विजन मिशन	2
2.	बोर्ड के निदेशकगण एवं लेखापरीक्षा समिति	3
3.	सूचना	5
4.	अध्यक्ष की कलम से	6
5.	निदेशकों का रिपोर्ट	9
6.	पांच वर्षों की रूपरेखा	34
7.	क्षेत्रीय कार्यालय	36
8.	लेखापरीक्षक का रिपोर्ट	37
9.	लेखा पर सीएजी की टिप्पणियां	50
10.	तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण और तुलन-पत्र व लाभ-हानि विवरण के अभिन्न अंग की लेखा टिप्पणियां	51
11.	व्यापार का लेखा :	
	i अन्तर्देशीय कच्चा जूट-मूल्य समर्थन	75
	ii अन्तर्देशीय कच्चा जूट-वाणिज्यिक	76
	iii जूट बीज	77
	iv विविध जूट उत्पाद (सोनाली)	77

विजन

कच्चे जूट सेक्टर में पहल करने वाला होना, विशेष रूप से कृषकों के हितों और वृहत में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना एवं विविध जूट व्यपार के क्रिया-कलाप जो दोहरे उद्देश्य आत्मनिर्भरता व धारणीय लाभप्रदत्ता के साथ पर्यावरण हितैषी है, के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताएं पूरी करना।

मिशन

- इस देश के जूट/मेस्ता कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के लिए भारत सरकार की नीति का कार्यान्वयन करना।
- कच्चे जूट सेक्टर में मूल्य स्थिरीकरण एजेंसी के रूप में कार्य करना और इस संबंध में आवश्यक उपाय करना।
- विभिन्न जूट संबंधी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाना।

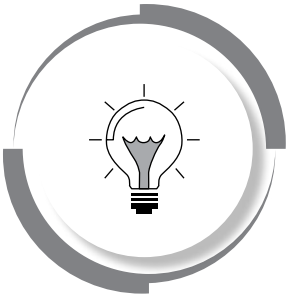

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

बोर्ड के निदेशकगण

1.	श्री ए. के. जॉली	:	प्रबंध निदेशक (01.02.2019)
2.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली सरकारी नामित निदेशक (15.07.2022)
3.	श्री गौरव कुमार	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकारी नामित निदेशक (08.12.2020)
4.	श्री अमिताभ सिन्हा	:	निदेशक (वित्त) (10.12.2020), सदस्य
5.	श्रीमती पूजा विधानी		गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020)
6.	श्री संजय शरण	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली सरकारी नामित निदेशक (14.02.2019 से 15.07.2022)
7.	डा. एस. के. पांडा	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (09.08.2018 से 08.08.2021)

लेखापरीक्षा समिति

1.	श्रीमती पूजा विधानी	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020), अध्यक्षा
2.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली सरकारी नामित निदेशक (15.07.2022), सदस्य
3.	श्री गौरव कुमार	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकारी नामित निदेशक (08.12.2020), सदस्य
4.	श्री ए. के. जॉली	:	प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य
5.	डा. एस. के. पांडा	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (09.08.2018 से 08.08.2021)
6.	श्री संजय शरण	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019 से 15.07.2022), सदस्य

सीएसआर समिति

1.	श्रीमती पूजा विधानी	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020), अध्यक्षा
2.	श्री गौरव कुमार	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकारी नामित निदेशक (08.12.2020), सदस्य
3.	श्री ए. के. जॉली		प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य
4.	श्री अमिताभ सिन्हा		निदेशक (वित्त) (10.12.2020)
5.	डा. एस. के. पांडा	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (09.08.2018 से 08.08.2021)

श्री ए. साहा	:	कंपनी सचिव (03.08.2016)

लेखापरीक्षक	:	मेसर्स एस.के. मल्लिक एंड कं., सनदी लेखाकार, बिकानेर बिल्डिंग्स (1ला तल), 8-बी, लालबाजार स्ट्रीट, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल, भारत

पंजीकृत कार्यालय	:	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087 वेबसाइट : www.jutecorp.in, ई-मेल : jci@jcimail.in

श्री ए. के. जॉली
प्रबंध निदेशक

सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा
संयुक्त सचिव (फाइवर), वस्त्र मंत्रालय
सरकारी नामित निदेशक

श्री गौरव कुमार
आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय
सरकारी नामित निदेशक

श्री अमिताभ सिन्हा
निदेशक (वित्त)

श्रीमती पूजा विधानी
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

सं.भापनि/51वीं एजीएम/सचिवालय/2022-23 दिनांक : 24.11.2022

51वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की इक्यावनवीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य संपादित करने के लिए इस निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087 में शुक्रवार, 25 नवंबर, 2022 को अपराह्न 3.00 बजे से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से होगी:

सामान्य कारोबार:

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों एवं निदेशकों के रिपोर्ट पर विचार करना एवं उसे पारित करना।

2. सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति को नोट करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी संशोधन के उसे पारित करना:

"प्रस्तावित

कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 139 के अनुसार मेसर्स एस.के. मल्लिक एण्ड कं., सनदी लेखाकार को वर्ष 2022-23 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है। इस अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत इस निगम के बोर्ड के निदेशकगण को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक, आनुषंगिक खर्च, सांविधिक कर एवं अन्य संबंधित खर्च तय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है एवं एतद्वारा किया जाता है"।

बोर्ड के निदेशकगण के आदेशानुसार

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

टिप्पणी:

1. सदस्य जो इक्यावनवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित एवं वोट देने के हकदार हैं वे अपने तरफ से परोक्षी को उपस्थित एवं वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं (धारा 105)। परोक्षी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का एक रिक्त फार्म संलग्न है, यदि इसका उपयोग होता है तो निगम को वार्षिक साधारण सभा प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले इसे विधिवत् भरकर वापस किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

निगम की 51वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं वास्तव में आप सभी का आभारी हूं जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल कर निगम की 51वीं एजीएम में भाग लिये।

बोर्ड के निदेशकगण की ओर से मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन के महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ-साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित लेखों और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं:

वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम को 1378.00 लाख रुपये की शुद्ध हानि हुई है। यह मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2018-20 के प्रतिबद्ध देयता की सब्सिडी राशि 24.75 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में डालने के कारण है।

बाजार का परिदृष्य

2020-21 से लाये गये 5.00 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2021-22 का प्रारंभ हुआ। जूट विशेषज्ञ समिति (ईसीजे) द्वारा किये गये जूट फसल के आकलन के आधार पर कच्चे जूट का कुल उत्पादन 90 लाख गांठ (180 कि.ग्रा. प्रति गांठ) होने का पूर्वानुमान था। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 275/- रुपये (रु.4225/- - रु.4500/-) की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2020-21 के वास्तविक उत्पादन 58 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष वास्तविक उत्पादन 90 लाख गांठ रहा। बंग्लादेश से 4.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 70 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 66 लाख गांठ और घरेलू खपत 12 लाख गांठ रहा। नेपाल को 2.00 लाख गांठ का निर्यात भी किया गया था। फसल वर्ष 2022-23 के लिए 19.00 लाख गांठ लाया गया। फसल की कीमत पूरे फसल वर्ष के दौरान एमएसपी से अधिक रहा। परिणामस्वरूप संबंधित फसल वर्ष के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लगभग 600 क्विंटल की खरीद हुई। इसके अलावा निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में जब्त लगभग 1732 क्विंटल कच्चे जूट के स्टॉक को भी खरीदा। वर्ष के दौरान जूट आयुक्त के कार्यालय ने 30.09.2021 से दक्षिण बंगाल टीडी5 ग्रेड के कच्चे जूट के अधिकतम बिक्री मूल्य की सीमा रु.6500/- प्रति क्विंटल निर्धारित की। इस निर्णय ने वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत निगम द्वारा खरीद की मात्रा को सीमित कर दिया। हालांकि यह अभी तक वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत करीब 12600 क्विंटल कच्चे जूट की खरीद करने में सफल रहा।

आगामी फसल वर्ष 2022-23 के दौरान भी कच्चे जूट की खेती के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है। इसका उत्पादन स्तर पर समग्र सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए जिससे बाजार में अधिक जूट आ सकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर टीडीएन-3 (टीडी5 के स्थान पर) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4500/- रुपये प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2020-21 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 275/- रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी के आधार पर कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 597 क्विं. कच्चे जूट की खरीद की।

2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन

निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के समझौता ज्ञापन के लिए 'अच्छा' श्रेणी प्राप्त किया है। समझौता ज्ञापन 2021-22 के अंतर्गत निगम की रेटिंग का अभी इंतजार है। हालांकि निगम संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए उच्च रेटिंग के प्रति बहुत आशान्वित नहीं है क्योंकि निगम कुछ बाहरी कारकों

जैसे सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से ऊपर रहने वाले बाजार मूल्य और जूट आयुक्त के कार्यालय द्वारा कच्चे जूट के विक्रय मूल्य पर सीमा लगाने के कारण एमएसपी या वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत अधिक कच्चे जूट की खरीद नहीं कर सका।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में सीएसआर क्रिया-कलाप करता है। अपने सीएसआर की पहल के अंतर्गत समय-समय पर लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित वर्तमान सीएसआर नीति एवं दिशा-निदेशों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं को अपनाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजी) के लिए जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास के लिए दो नई परियोजनाएं शुरू की थी।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी परियोजनाओं के सीएसआर क्रिया-कलाप के अंतर्गत एवं इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में निगम ने विभिन्न जिलों में 4 सरकारी अस्पतालों में कोविड संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए परियोजनाएं शुरू की थी जहां निगम की मौजूदगी है। उक्त उद्देश्य के लिए चार अस्पतालों में से प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। 31.03.2022 तक सीएसआर परियोजना के अंतर्गत 2 (दो) ऐसे अस्पतालों को फंड जारी किया गया था। उपरोक्त राशि के जिलावार उपयोग का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

राज्य	जिला	अस्पताल	उद्देश्य
असम	नगांव	बी.पी. सिविल अस्पताल	बायो मेडिकल अपशिष्ट ले जाने के लिए वाहन की खरीद।
पश्चिम बंगाल	मालदा	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए।

इसके अलावा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से व्यावसायिक स्तर पर गुणवत्ता वाली जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन के लिए अध्ययन, डिजाइन का विकास और हैंडहोल्डिंग के लिए एक परियोजना भी चालू की गई है जिसका बजट लगभग 6.52 लाख रुपये है। इसके तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही निफ्ट, कोलकाता को राशि जारी किए जाने की उम्मीद है।

कार्पोरेट गोवर्नेन्स

कंपनी अधिनियम, 2013 पर आधारित मौजूदा कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यास एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स संबंधित नवीनतम दिशानिर्देशों का निगम द्वारा पालन किया जाता है जो स्वभाविक रूप से अनिवार्य है क्योंकि निगम सीपीएसई है। कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट निदेशक के रिपोर्ट में दी गई है।

निगम अपने क्रिया-कलापों में अधिकतम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यासों को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स की अवधारणा को महत्व एवं सार्थकता का नया स्तर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने निगम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है जिनके कुशल मार्गदर्शन ने निगम को अधिक पेशेवर और अग्रगामी तरीके से अपने कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यासों को मजबूत करने में मदद किया है एवं अपने निर्णय लेने में अधिक वस्तुनिष्ठता प्रदान की है।

मानव संसाधन प्रबंधन

निगम के मानव संसाधन विभाग निगम के कर्मचारियों के संबंधित क्षेत्रों में उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस दिशा में नियमित आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई ताकि कर्मचारियों को उनके पेशेवर क्षेत्रों में नवीनतम विकास और परिवर्तनों से अवगत रखा जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थानों और संगठनों के माध्यम से आरटीआई अधिनियम, 2005 में सीपीआईओ द्वारा परस्पर विरोधी हितों का प्रबंधन, नए श्रम संहिता, 2021 का कार्यान्वयन और इसके प्रभाव, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मजबूत होकर नेतृत्व करना एवं सामने आना, सचेतन पर कार्यशाला, क्रेडिट प्रबंधन पर कार्यशाला, संसदीय प्रश्न और उत्तर/संसदीय समिति

प्रणाली, पीओएसएच, अनुशासनात्मक नियम और प्रक्रियाएं जैसे विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष मोड के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। निगम के दोनों नियमित और संविदागत कर्मचारियों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

आगे की ओर देखना

निगम इस कहावत में विश्वास करता है कि "परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है" इसलिए यह बदलती दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कामकाज के हर क्षेत्र में नए बदलावों के लिए प्रयास करता रहता है।

जैसाकि विगत रिपोर्टों में सूचित किया गया था, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) में प्रसादम् के वितरण के लिए एल्युमीनियम लेपित पर्यावरण हितैषी जूट बैग बेचने की निगम की परियोजना में विगत वर्ष के दौरान कोविड-19 वायरस के कारण व्यापार में आई गिरावट के उपरांत धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिख रहे हैं।

निगम अपनी वैकल्पिक राजस्व सृजन योजना के अंश के रूप में जूट बीजों की जेआरओ-204 किस्म के वाणिज्यिक वितरण को जारी रखा है।

निकट भविष्य में जियो-टेक्सटाइल एवं एग्रो-टेक्सटाइल के कारोबार भी बढ़ने की उम्मीद है।

इसके अलावा निगम विशेष रूप से जूट कृषकों एवं सामान्य रूप से जूट अर्थव्यवस्था के समग्र हित के लिए एनजेबी के जूट आई-केयर परियोजना को कार्यान्वित करने की अपनी जिम्मेदारियों को जारी रखा है।

निगम अपने जेडीपी के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग ले रहा है जो आने वाले समय में निश्चित रूप से लाभांश प्राप्त करेगा।

मुझे विश्वास है कि हमारे देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में निगम अपनी दृष्टि एवं अपनी योजनाओं को साकार करेगा और आने वाले वर्ष जूट कृषकों के पक्ष में रहेगा।

अभिस्वीकृति

मैं वस्त्र मंत्रालय, जूट आयुक्त के कार्यालय, राष्ट्रीय जूट बोर्ड और अन्य सभी जूट से संबंधित निकायों के अधिकारियों को निगम के क्रिया-कलापों के लिए उनके पूर्ण समर्थन और संरक्षण हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

(अजय कुमार जॉली)
प्रबंध निदेशक

निदेशकों का रिपोर्ट
वर्ष 2021-22

प्रिय शेयरधारीगण,

निगम की 51वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस सुअवसर पर बोर्ड के निदेशकगण की ओर से आपके समक्ष निगम के कार्य-निष्पादन से संबंधित 51वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट एवं 31 मार्च, 2022 के लेखापरीक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

उपरोक्त दर्शाये गये अवधि के दौरान निगम के कार्यों का मुख्य क्रिया-कलाप नीचे दर्शाये जा रहे हैं:

1. कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति का परिदृश्य

2020-2021 से लाये गये 5.00 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2021-22 प्रारंभ हुआ। जूट विशेषज्ञ समिति (ईसीजे) द्वारा जूट की फसल के अनुमान के आधार पर कच्चे जूट के कुल उत्पादन का पूर्वानुमान 90 लाख गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम) था। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में रु.275/- (रु.4225 – रु.4500) की बढ़ोत्तरी हुई जैसाकि भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। वास्तविक उत्पादन वर्ष 2020-21 के वास्तविक उत्पादन 58 लाख गांठ की तुलना में 90 लाख गांठ रहा। बंग्लादेश से लगभग 4.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 70 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 66 लाख गांठ और घरेलू खपत 12 लाख गांठ रहा। नेपाल को 2.00 लाख गांठ का भी निर्यात किया गया। फसल वर्ष 2022-23 के लिए 19.00 लाख जूट गांठ लाया गया। पूरे फसल वर्ष के दौरान फसल मूल्य एमएसपी से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप संबंधित फसल वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत लगभग 600 क्विंटल जूट की खरीद हुई। इसके अलावा निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में जब्त किए गए लगभग 1732 क्विंटल कच्चे जूट के स्टॉक को भी खरीदा। वर्ष के दौरान जूट आयुक्त के कार्यालय ने 30.09.2021 से दक्षिण बंगाल टीडी5 ग्रेड के लिए कच्चे जूट के अधिकतम बिक्री मूल्य 6500/- रुपये प्रति क्विंटल की सीमा लगाई। इस निर्णय ने निगम द्वारा वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत खरीद की मात्रा को सीमित कर दिया। हालांकि यह अभी वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 12600 क्विंटल कच्चे जूट की खरीद करने में सफल रहा।

आगामी फसल वर्ष 2022-23 के दौरान भी कच्चे जूट की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसका उत्पादन स्तर पर समग्र सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए जिससे बाजार में अधिक जूट आ सकता है।

2. क्रिया-कलाप की समीक्षा

2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के आधार पर टीडीएन-3 (टीडी-5 के जगह) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4500 रु. प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2020-21 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 275 रु. प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी पर आधारित कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों और श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

31 मार्च, 2022 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2021-22 के एमएसपी क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
597	26.27

2.2 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

31 मार्च, 2022 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2021-22 के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
12,347	708.81

3. वित्तीय समीक्षा

3.1. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 597 क्विं. एवं वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत 12,347 क्विं. कच्चे जूट की खरीद की।

3.2. वर्ष 2021-22 के दौरान निगम का कुल कारोबार 6609.96 लाख रु. का रहा। परिचालन परिणाम यह दर्शाता है कि सभी बंधे खर्च, भाड़ा, बीमा, ब्याज, मूल्यह्रास और सेवानिवृत कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ के प्रावधान चार्ज करने के उपरांत शुद्ध हानि 1378.21 लाख रु. हुआ है। 'शून्य' लाभांश पर विचार करने के उपरांत आरक्षित एवं अधिशेष खाते में शेष जमा राशि वर्ष के अंत में तुलन-पत्र के खाते में 12869.22 लाख रु. दर्शाया गया है।

3.3. विगत वर्ष के लाभ राशि 1215.23 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष 1378.21 लाख रु. की हानि हुई है।

3.4. 2021-22 में कंपनी का अर्जित प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रु.) विगत वर्ष की राशि 243 रु. की तुलना में (-) 276 रु. है।

3.5. निगम के पास प्रत्येक वर्ष 150 करोड़ रु. से अधिक का समुचित कच्चे जूट का कारोबार करने के लिए आधारभूत ढांचा एवं आवश्यक कार्यकारी पूंजी सीमा है।

3.6. इस वर्ष के प्रस्तावित लाभांश विगत वर्ष की राशि 776 लाख रु. की तुलना में 'शून्य' है।

समीक्षाधीन इस वर्ष के वित्तीय परिणाम को **परिशिष्ट-'ए'** में दिखाया गया है।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप के लिए निगम के आधारभूत ढांचा के रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

जैसाकि आप जानते हैं, निगम कच्चे जूट का एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए भारत सरकार का नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद कर मुख्य रूप से जूट कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए हुई एवं जूट कृषकों व संपूर्ण जूट अर्थव्यवस्था के हितों के लिए कच्चे जूट के बाजार मूल्य को संभव सीमा तक स्थिर करने के लिए भी हुई।

सरकार निगम को बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता का वार्षिक अनुदान प्रदान करता है और इसके बंधे खर्च को पूरा करता है ताकि जब भी एमएसपी की स्थिति उत्पन्न हो तो निगम एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए सदैव तैयार रहे।

जैसाकि विगत वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए निगम को 245.87 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी थी।

इसके अलावा निगम ने वस्त्र मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2018-20 के शेष 50% प्रतिबद्ध देयता राशि 24.75 करोड़ रुपये देने के लिए अनुरोध किया था। हालांकि निगम के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रतिबद्ध देयता की उपरोक्त गैर-प्राप्ति के परिणामस्वरूप निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 13.78 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि दर्ज की है।

5. समझौता ज्ञापन (एमओयू)– 2021-22

यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए 'अच्छा' ग्रेड प्राप्त किया है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) 2021-22 के अंतर्गत निगम को संचालन से राजस्व, परिसंपत्तियों के कुल कारोबार के अनुपात, राजस्व के प्रतिशतता के रूप में ईबीआईटीडीए, निवल मूल्य पर रिटर्न, नियोजित पूंजी पर रिटर्न, कच्चे जूट की खरीद (एमएसपी क्रिया-कलाप सहित) और प्रति शेयर उपार्जन से संबंधित प्राथमिक लक्ष्य सौंपे गए थे।

उपरोक्त के अलावा निगम "अनुपालन मानदंड" के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी बाध्य था:

1. जेम पोर्टल से कुल खरीद का 25%: (जेम के अनुसार वर्ष के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद)/(संबंध पोर्टल के अनुसार विगत वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद)*100

2. चुनिंदे मामलों पर डीपीई का दिशा-निदेश i) वेतन संशोधन के दिशा-निदेश और वेतन संशोधन के लिए सीपीएसईज की लाभप्रदता की समीक्षा ii) व्यय प्रबंधन आर्थिक उपाय और व्यय का युक्तिकरण iii) सुगम्य भारत अभियान से संबंधित दिशा-निदेश iv) शिक्षुता अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन से संबंधित दिशा-निदेश v) सीपीएसईज द्वारा सीएसआर व्यय से संबंधित समय-समय पर जारी दिशा-निदेश।

3. कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) नियमों) के प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (i) बोर्ड के निदेशकगण की संरचना (ii) बोर्ड समितियां (लेखापरीक्षा समिति आदि) (iii) बोर्ड की बैठकों का आयोजन (iv) संबंधित पार्टी का लेन-देन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।

4. दीपम/नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य: i. लाभांश का भुगतान ii. परिसंपत्ति का मुद्रीकरण माइलस्टांस iii. विनिर्दिष्ट विनिवेश माइलस्टांस।

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीद और समय पर भुगतान (संबंद पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान एमएसईज के माध्यम से 25% वस्तुओं की खरीद या सेवाएं (एससी/एसटी एमएसईज से 4% और महिला एमएसईज से 3% सहित)/(संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान कुल वस्तुओं की खरीद और सेवाएं)।

6. सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्य)

निदेशकगण इस बात को लेकर काफी आशान्वित हैं कि निगम द्वारा जेडीपीज, जेजीटीज और जेएटीज के प्रत्यक्ष और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विपणन व फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से अपनी वैकल्पिक व्यावसाय की खोज और मजबूती के लिए की गई कड़ी मेहनत का फल निकट भविष्य में मिलेगा और निगम का वित्तीय कार्य-निष्पादन बेहतर होगा। हालांकि चालू फसल वर्ष के दौरान भी अधिक एमएसपी सीजन की उम्मीद नहीं है जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निगम की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

6. जूट विविध उत्पादों (जेडीपीज) के विपणन के लिए वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

जैसाकि पिछले रिपोर्ट में बताया गया था, निगम ने तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) में प्रसादम् के वितरण के लिए एल्यूमीनियम लेपित

जूट बैग की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। निगम ने समीक्षाधीन वर्ष में उक्त व्यावसायिक क्रिया-कलाप जारी रखे हुए है। हालाँकि चल रही महामारी के कारण तीर्थयात्रियों की यात्राओं में भारी कमी आई है और इसलिए व्यापार की मात्रा में भी कमी आई है।

जेडीपीज के विपणन के लिए विपणन के अन्य चैनलों का पता लगाया जा रहा है जिसमें ई-कॉमर्स, पैन इंडिया के आधार पर फ्रेंचाइजिज नियुक्त करना और डिजिटल मार्केटिंग का इष्टतम स्तर पर उपयोग करना शामिल है। वास्तव में सात फ्रेंचाइजिज ने पंजीकरण कराया है जिनमें से केवल एक ने भापनि से पहली खेप लेकर व्यवसाय प्रारंभ किया है। हालाँकि महामारी ने उन्हें उनके व्यावसायिक क्रिया-कलाप प्रारंभ करने से रोक दिया है। एक नया जेडीपी अनुभाग पहले चालू किया गया था और वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

निगम ने जियो-टेक्सटाइल्स और एग्रो-टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी कुछ व्यवसाय किया है जिसकी राशि क्रमशः 58 लाख रु. और 74.7 लाख रु. है। यह उच्च क्षमता वाले व्यवसाय का क्षेत्र है और निगम सभी संभावनाएं तलाश रहा है।

7. सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण

देश के लाखों जूट कृषकों अधिकतम छोटे एवं मार्जिनल के हितों की रक्षा करने के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारणा दशकों से प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा कच्चे जूट की खरीद की जाती है जब चालू बाजार मूल्य उपरोक्त घोषित एमएसपी पर रहता है या उससे कम रहता है। सरकार ने निगम को यह एमएसपी क्रिया-कलाप करने की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम देश में कच्चे जूट का एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए नोडल एजेंसी है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कच्चे जूट का बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से ज्यादातर अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप निगम एमएसपी के अंतर्गत न्यूनतम खरीद कर सका। जहां तक वाणिज्यिक खरीद का संबंध है, संबंधित वर्ष के दौरान जूट आयुक्त के कार्यालय ने दक्षिण बंगाल टीडी5 ग्रेड के लिए 30.09.2021 से कच्चे जूट के अधिकतम बिक्री मूल्य की अधिकतम सीमा रु.6500/- प्रति क्विंटल निर्धारित की। इस निर्णय ने वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत निगम द्वारा खरीद की मात्रा को सीमित कर दिया।

निगम का "सोनाली" नामक रिटेल आउटलेट कोलकाता के दक्षिणी भाग में लोकप्रिय दक्षिणापन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इस आउटलेट के माध्यम से निगम वंचित महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और ग्रामीण कारीगरों जिनके पास अपने उत्पादों के प्रदर्शन या विपणन का कोई साधन नहीं है, के द्वारा बनाई गई जेडीपी के वस्तुओं का प्रदर्शन, प्रचार, विपणन और बिक्री करता है।

निगम ने प्रमाणित जूट बीजों के वितरण में भी पहल की है।

इसके अलावा निगम ने जूट आई-केयर (जूट: बेहतर खेती और उन्नत रिटिंग अभ्यास) परियोजना के कार्यान्वयन भाग को भी शुरू किया है जिसे एनजेबी के तत्वावधान में निष्पादित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य बेहतर मूल्य प्राप्ति और मूल्यवर्धन के लिए उत्पादकता और फाइबर की गुणवत्ता में सुधार करते हुए कच्चे जूट के उत्पादन की लागत को कम करना है।

इस परियोजना में शामिल उन्नत कृषि पद्धतियां हैं - सीड ड्रिल का उपयोग करते हुए लाइन बुवाई, मैकेनिकल नेल-वीडर द्वारा जूट फसल में खरपतवार प्रबंधन और उसमें शामिल श्रम लागत को कम करने और गुणवत्ता प्रमाणित जूट बीजों के वितरण के लिए हाथ से निराई करने के बजाय साइकिल वीडर।

इस परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत जूट कृषकों को निम्नलिखित सहयोग का विस्तार किया गया है:

i) बहुत अधिक अंकुरण दर एवं अधिक उत्पादकता वाले 100% प्रमाणित जूट बीज प्रदान करना।

ii) बीज ड्रील, नैल वीडर/साइकिल वीडर का उपयोग करते हुए यांत्रिक हस्तक्षेप के साथ कृषकों के खेतों में अपनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती प्रथा का प्रदर्शन।

iii) रेशे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्राइजाफ सोना, एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम (नि:शुल्क) का उपयोग करते हुए माइक्रोबियल रेटिंग का प्रदर्शन/वितरण।

इस परियोजना के अंतर्गत 2015 से प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध ढंग से क्रिया-कलाप किये जा रहे थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान आई-केयर के चरण-VII के अंतर्गत की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	ब्यौरा	क्रिया-कलाप
1.	कवर किये गये जूट उगाने वाले ब्लॉक/राज्य की सं.	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश एवं त्रिपुरा के अंतर्गत 140 ब्लॉक।
2.	जमीन कवर किया गया (हेक्टर)	125000
3.	कवर किये गये कृषकों की संख्या	300000
4.	प्रमाणित जूट बीज प्रदान किया गया (मीट्रिक टन में) जेआरओ-204 और जेबीओ-2003एच किस्म	35 मीट्रिक टन
5.	बीज ड्रील मशीन	3150(पुराना)+1000(नया) = 4150
6.	नैल वीडर मशीन	3750(पुराना)+1200(नया) = 4950
7.	क्राइजाफ सोना (मीट्रिक टन)	600 मीट्रिक टन
8.	निनफेट साथी	50 मीट्रिक टन
9.	प्रत्येक पंजीकृत कृषक को एसएमएस भेजा गया	क्राइजाफ द्वारा जारी एडवाइजरी कृषकों के बीच वितरित किया गया।
10.	बुवाई और रेटिंग का प्रदर्शन	500 बार

8. प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(ए) उद्योग ढांचा और विकास

भापनि द्वारा शासित एमएसपी दरों का प्रावधान कच्चे जूट के बाजार एवं जूट उद्योग का मुख्य आधार है। कीमतों में गिरावट के मामूली संकेत आने पर कृषकों को एमएसपी का सहायता प्रदान करने में भापनि सक्रिय कार्रवाई करता है। फसल वर्ष 2021-22 में कच्चे जूट का बाजार मूल्य वर्ष के अधिकांश समय में एमएसपी से अधिक रहा। चूंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का महत्वपूर्ण हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था इसलिए बाजार में फसल की कमी हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप कीमत आसमान छू रहा था। जिसके परिणामस्वरूप निगम एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 8069 क्विंटल कच्चे जूट की खरीद कर सका। इसके साथ ही निगम ने वाणिज्यिक रूप से 154312 क्विंटल जूट की सफलतापूर्वक खरीद करने का भी प्रयास किया। वास्तव में वाणिज्यिक क्रिया-कलाप ने निगम को कुछ लाभ भी दिया।

(बी) सुअवसर एवं खतरा/जोखिम व इससे संबंधित

- **सुअवसर**

  — एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा से जूट कैरी बैग का प्रसार करने के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है।

  — तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) : हालांकि टीटीडी लड्डू कॉम्प्लेक्स में अभी भी कोविड-19 महामारी का प्रभाव है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चीजों में सुधार होना तय है। बड़े पैमाने पर जनता के बीच पर्यावरण हितैषी जूट बैग के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ने से निगम को निकट भविष्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में मदद मिलेगी और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के साथ कारोबार में वृद्धि होगी।

  — जियो टेक्सटाइल्स और एग्रो टेक्सटाइल्स व्यवसाय को पहले ही उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिल चुका है और निगम दोनों वर्टिकल में कुछ व्यवसाय सृजित करने में सफल रहा है।

— पारंपरिक एमएसपी क्रिया-कलाप को बढ़ाने के लिए भापनि ने अपनी ओर से खरीद करने के लिए सरकारी समितियों को काम पर लगा रहा है जिससे परिमाण एवं कुल कारोबार दोनों ही बढ़ रहे हैं।

— जेडीपी का वितरण एवं कच्चे जूट के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप निगम के लिए व्यवहार्य व्यवसाय के रूप में उभरे हैं।

— निगम ने सफलतापूर्वक प्रमाणित जूट बीज का वाणिज्यिक वितरण किया है।

♦ **जोखिम एवं संबंधित/खतरा**

— जबकि शासनादेश के अनुसार भापनि एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत सभी प्रकार के कच्चे जूट की खरीद करने के लिए बाध्य है जिसमें निम्न श्रेणी शामिल है, लेकिन इसका निपटान करते समय मिलें इस बहाने निम्न श्रेणी के जूट लेने के लिए अनिच्छुक हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देश के अनुसार इसका उपयोग बी.ट्वील बैग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

— सेवानिवृत्ति के कारण प्रशिक्षित कार्मिकगण निरंतर कम होते जा रहे हैं। डीपीसी का प्रचालन करना एक प्रमुख मुद्दा है।

— मौजूदा गोदाम भाड़ा बहुत कम हैं और मालिकगण अधिक भाड़ा की मांग कर रहे हैं या अपने परिसर को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में गोदाम को बनाए रखना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मालिकगण किराए के लिए चालू बाजार दरों की मांग कर रहे हैं।

(सी) दृष्टिकोण

निगम ने कृषकों द्वारा एमएसपी पर प्रस्तावित होने वाले सभी कच्चे जूट की खरीद एवं भंडारण करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। निगम आने वाले वर्षों में अपने समग्र कार्य-निष्पादन को उन्नत करने के लिए सभी तरह के प्रयास निरंतर करता रहेगा।

फील्ड स्तर पर भर्ती के मुद्दे का हल भी किया जा रहा है।

निगम आत्मनिर्भरता के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने के तरीके और साधन भी तलाशेगा।

(डी) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता

निगम ने दक्ष संसाधन, लागत नियंत्रण, सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और वित्तीय रिपोर्ट की विश्वासनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और व्यापक विकास किया है। लेखापरीक्षा समिति निगम के आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव देती है।

(ई) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

— विगत वर्ष के दौरान 328.67 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 26.27 लाख रु. का रहा।

— विगत वर्ष के दौरान 8473.81 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 708.81 लाख रु. का रहा।

— विगत वर्ष के दौरान 1165.98 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 204.88 लाख रु. का रहा।

— विगत वर्ष के दौरान 9487.66 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 2017.74 लाख रु. का रहा।

— निगम को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1378.21 लाख रुपये का शुद्ध हानि हुआ जबकि विगत वर्ष के दौरान इसने कर के उपरांत 1215.23 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया था। यह मुख्य रूप से एमएसपी की स्थिति न होने और वित्तीय वर्ष 2018-20 के सरकारी आर्थिक सहायता की राशि 24.75 करोड़ रुपये से संबंधित प्रतिबद्ध देयता की प्राप्ति न होने के कारण है।

(एफ) मानवीय श्रोत एवं औद्योगिक संबंध

निगम ने अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने और उनके वर्तमान कार्य में उन्हें अधिक संसाधन युक्त बनाने के साथ-साथ भविष्य में भूमिका हेतु उन्हें तैयार करने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यवर्तन के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखा है। इस संबंध में मानव संसाधन के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने एवं निखारने के लिए लगातार विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

(जी) सतर्कता विवरण

रिपोर्ट के इस भाग में दी गई विवरण मानी हुई बात एवं आगे की घटनाओं की उम्मीद पर आधारित है। फिर भी वास्तविक परिणाम दर्शाये अथवा कार्यान्वित किये गये से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो भिन्न बना सकता है उसमें सरकार द्वारा निगम को वित्तीय सहयोग में परिवर्तन, सरकारी विनियम में परिवर्तन, उद्योग में औद्योगिक संबंध का माहौल एवं अन्य कारक जैसे मुकदमेबाजी शामिल हैं।

9. कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसरण में सीएसआर क्रिया-कलापों के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करता है क्योंकि यह सीएसआर के क्रिया-कलापों को अनिवार्य रूप से करने के लिए उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। अपनी सीएसआर योजना के अंतर्गत किये जाने वाले क्रिया-कलापों का निर्धारण करते समय निगम सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित दिशा-निदेशों का पालन करता है।

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक और इसके सदस्य के रूप में श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, श्री अजय कुमार जॉली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भापनि एवं श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त), भापनि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 38.52 लाख रु. खर्च करना था। दिए गए बजट के अंदर प्रस्तावित क्रिया-कलापें जैसाकि सीएसआर समिति द्वारा संस्तुति की गई थी और तदनुपरांत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्रिया-कलाप	राशि (रु. लाख में)
1.	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए सामान्य विषय के रूप में कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य और पोषण को मंजूरी देने वाले डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में सरकारी/जिला अस्पतालों को अंशदान।	20.00
2.	व्यावसायिक पैमाने पर जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में सहायता के साथ-साथ कौशल विकास के लिए परियोजना। आरएफपी के माध्यम से संगठन का चयन किया जाना है और जिला प्राधिकरण/राज्य सरकार के माध्यम से चयनित संगठन की पृष्ठभूमि की जांच की जा सकती है।	10.00

3.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान।	2.00
4.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से व्यावसायिक पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन के लिए अध्ययन, डिजाइन का विकास और हैंडहोल्डिंग।	6.52
	कुल	**38.52**

निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजीज) के लिए जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास हेतु दो नई परियोजनाएं शुरू की थी। उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दो संगठनों का चयन किया गया है। इसका विवरण आगामी वार्षिक रिपोर्ट में रखा जाएगा।

निगम विगत कुछ वित्तीय वर्षों से इस संबंध में डीपीई के दिशा-निदेश के अनुपालन में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी परियोजनाओं के लिए सीएसआर क्रिया-कलाप कर रहा है। इस वर्ष भी प्रासंगिक डीपीई के दिशा-निदेश के अनुसरण में निगम ने विभिन्न जिलों में जहां निगम की उपस्थिति है, 4 सरकारी अस्पतालों में कोविड संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए परियोजनाएं शुरू की थी। इस उद्देश्य के लिए चार अस्पतालों में से प्रत्येक अस्पताल के लिए 5 लाख रु. आवंटित किए गए थे। 31.03.2022 तक 2(दो) ऐसे अस्पतालों को संबंधित सीएसआर परियोजना के अंतर्गत निधि जारी की गई थी। दर्शाये गये उपरोक्त राशि के जिलेवार उपयोग का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

राज्य	जिला	अस्पताल	उद्देश्य
असम	नगांव	बी.पी.सिविल अस्पताल	बायो मेडिकल अपशिष्ट ले जाने के लिए वाहन की खरीद।
पश्चिम बंगाल	मालदा	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए।

रिपोर्ट लिखे जाने के समय तक दो और अस्पतालों की पहचान की गई है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर क्रिया-कलाप के अंतर्गत उसे फंड जारी किया गया है। इसका विवरण आगामी वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा।

इसके अलावा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से व्यावसायिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन के लिए अध्ययन, डिजाइन के विकास और हैंडहोल्डिंग हेतु एक परियोजना भी लिया गया है जिसका अनुमानित बजट 6.52 लाख भी रुपये है। इसके तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही निफ्ट, कोलकाता को राशि जारी किए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के सीएसआर क्रिया-कलाप से संबंधित विवरण को **परिशिष्ट "सी"** के रूप में दिया गया है।

10. कार्पोरेट गवर्नेंस

(ए) 1971 में निगम को कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि जब कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी पर या उससे नीचे रहेगा तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद कर जूट कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना। वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा दी गयी निधि का उपयोग एमएसपी क्रिया-कलाप के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव करने के लिए किया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इस निधि का सही ढंग से उपयोग हो। निगम ने अत्यधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ सरकारी अनुदान के बेहतर उपयोग में लगातार सुधार करने की कोशिश की है।

(बी) 31.03.2022 तक बोर्ड के निदेशकगण – निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।

बोर्ड की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों की सं.	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	क्या विगत एजीएम में उपस्थित रहे (15.12.2021)
1.	श्री अजय कुमार जॉली (डीआईएन:08427305) (01.02.2019 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4	4	हां
2.	श्री संजय शरण (डीआईएन:08131112) (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक/ अंशकालिक अध्यक्ष	4	4	3	हां
3.	श्री गौरव कुमार (डीआईएन:02819625) (08.12.2020 से)	सरकारी निदेशक	4	4	3	-
4.	श्रीमती पूजा विधानी (डीआईएन:08863071) (19.02.2020 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4	4	-
5.	श्री अमिताभ सिन्हा (डीआईएन:09022866) (10.12.2021 से)	निदेशक (वित्त)	4	4	4	हां
6.	डा. एस.के. पांडा (डीआईएन:02586135) (09.08.2018 से 08.08.2021 तक)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	4	-	-	-
बोर्ड की बैठकों की तिथि: 31.08.2021, 14.12.2021, 13.01.2022 एवं 29.03.2022						

(सी) 31.03.2022 तक लेखापरीक्षा समिति – निगम की मूल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कार्पोरेट अनुभव का अनुसरण करने के लिए इस अधिनियम की धारा 292ए एवं इससे संबंधित प्रासंगिक/अनुषंगिक विनियम के अनुसार 2001 में निगम के लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया। लेखापरीक्षा समिति का कोरम दो सदस्यों का है।

वर्तमान समिति में निम्नलिखित समाविष्ट है:

1. श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री संजय शरण, सरकारी निदेशक – सदस्य
3. श्री गौरव कुमार, सरकारी निदेशक – सदस्य
4. श्री अजय कुमार जॉली, प्रबंध निदेशक – सदस्य
5. डा. एस.के. पांडा, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष (08.08.2021 तक)

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

इस समिति से संबंधित शर्तों का संक्षिप्त ब्यौरा है:

(ए) कंपनी के वित्तीय विवरणियों एवं अन्य रिपोर्टों का समय-समय पर समीक्षा करना।

(बी) मुख्यत: निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणियों एवं रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

(i) लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में कोई परिवर्तन करना।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा उठाने पर योग्यताओं एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं का समायोजन करना।

(iii) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय ग्रहण करना।

(iv) लेखाकरण मानकों का अनुपालन करना।

(v) प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों से संबंधित तथ्य का आदान-प्रदान करना।

(vi) लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास संस्तुति करना।

(vii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन करना।

(viii) बोर्ड में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षा लागू कानून, विनियम एवं कंपनी के नीतियों के अनुसार हैं।

(ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(x) निगम के किसी भी कर्मचारी से सूचना लेने का प्रयास करना।

(xi) यदि आवश्यकता हुई तो बाहर से कानूनी या किसी दूसरे विशेषज्ञों की सहायता सुनिश्चित करना।

(xii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विरोधों को कम करना।

(xiii) आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम वाले प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए सुनिश्चित करना।

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया अथवा बाहरी लेखापरीक्षकों को अनियमितताओं की जानकारी देने वाले कर्मचारियों एवं अन्यान्य को संरक्षण देना (पहरेदारों को संरक्षण देना)।

(xv) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं वित्तीय स्थिति व क्रिया-कलाप के परिणाम के विश्लेषण का समीक्षा करना।

(xvi) प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य-प्रणाली, रिपोर्ट करने की संरचना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल की समीक्षा करना।

(xvii) कंपनी के वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन के नीतियों की समीक्षा करना।

ऐसे अन्य विषयों का निपटारा करना जिसे बोर्ड द्वारा लिखित रूप से इसके पास भेजा जाता है या संगठन के हित में इसे आवश्यक समझा जाता है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित
1.	श्रीमती पूजा विधानी (19.02.2020 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	3	3	3
2.	श्री संजय शरण (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	3	3	2
3.	श्री गौरव कुमार (08.12.2020 से)	सरकारी निदेशक	3	3	2
4.	श्री अजय कुमार जॉली (01.02.2019 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	3	3
5.	डा. एस.के. पांडा (09.08.2018 से 08.08.2021 तक)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	3	-	-
लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथि: 31.08.2021, 14.12.2021 एवं 29.03.2022					

(डी) साधारण निकाय की बैठकें:

		2018-19 (48वीं एजीएम)	2019-20 (49वीं एजीएम)	2020-21 (50वीं एजीएम)
1.	तिथि	18.12.2019	15.12.2020	14.12.2021
2.	समय	पूर्वाह्न 10.00 बजे	पूर्वाह्न 11.00 बजे	अपराह्न 3.00 बजे
3.	स्थान	उद्योग भवन, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700087 में वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से	निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700087 में वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से

(ई) प्रकटन:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013, लेखाकरण मानक पद्धति एवं अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत प्रकटन अपेक्षित है।

(ii) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम पर कोई दंड/अवक्षेप नहीं लगा है।

(iii) कर्मचारीगण अपने पर्यवेक्षकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास नियम/विनियम के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iv) मार्ग-दर्शन में विनिर्दिष्ट बिंदुओं का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

(v) केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vi) कोई भी ऐसे खर्च को लेखा-बही में नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है।

(vii) व्यक्तिगत खर्च का वहन नहीं किया गया है किंतु बैठकों से संबंधित निदेशकों के लिए आवासीय प्रभार आदि के रूप में खर्च किया गया है।

(viii) अन्य सूचना:

i) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं कार्यवाही –

प्रत्येक वर्ष बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम बैठकें की जाती हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है। बोर्ड के समक्ष साधारणत: निम्नलिखित सूचनाएं रखी गई:

(ए) कार्यवृत्त की पुष्टि।

(बी) अनुवर्ती कार्रवाई।

(सी) कच्चे जूट के विपणन से संबंधित रिपोर्ट।

(डी) जूट बीजों का वितरण।

(ई) कानूनी मामलें।

(एफ) सतर्कता से संबंधित रिपोर्ट।

(जी) सांविधिक अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट।

(एच) वार्षिक लेखा।

(आई) लेखापरीक्षक।

(ii) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची – बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विभागीय प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श करते हैं एवं निदेश देते हैं कि कार्यसूची से संबंधित कागजात कंपनी सचिव के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कर दी जाए। कार्यसूची से संबंधित कागजात निदेशकों/सदस्यों के पास भेजी जाती है। ठीक वैसे ही बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों के पास उनके विचारार्थ भेजी जाती है।

(iii) विगत बैठक से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की क्रियाविधि – बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में विगत बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श की जाती है।

(iv) बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग – कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन होने के उपरांत उसे सभी निदेशकों/सदस्यों के पास परिचालित किया जाता है। तत्पश्चात् बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है एवं तदनुसार उसे कार्यवृत्त बही में दर्ज की जाती है।

(एफ) तिमाही रिपोर्ट

निगम ने वस्त्र मंत्रालय के पास कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुबंधित निर्धारित फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट फाइल करता है। एक समेकित रिपोर्ट भी डीपीई के पास भेजी जाती है।

(जी) बोर्ड के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापार, आचरण एवं नीति संहिता का अंगीकरण – कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाली नीति:

निगम ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस (सीपीएसईज) के कार्पोरेट गोवर्नेंस के मार्ग-दर्शन के आधार पर आचरण-संहिता, जोखिम प्रबंधन – धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाली नीति विकसित की है जिसे बोर्ड के निदेशकगण द्वारा अपनाया गया है। प्रत्येक नीति की प्रति वेब-साइट :www.jutecorp.in पर रखी गई है।

11. लाभांश

निदेशकगण संबंधित वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा उठाए गए हानि पर विचार करते हुए अपने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (विगत वर्ष रु.155.24 प्रति शेयर) किसी भी लाभांश की संस्तुति नहीं करते हैं। लाभांश के रूप में कुल व्यय शून्य (विगत वर्ष रु.7,76,18,100/-) होगा।

12. 51 वर्षों के वित्तीय निष्पादन का परिदृश्य

51 वर्षों के दौरान प्रारंभ से 2021-22 तक निगम की वित्तीय निष्पादन का एक सूक्ष्म-वीक्षण परिशिष्ट- "बी" में दिया गया है जो लाभ-हानि और आर्थिक सहायता के लेखा-जोखा से संबंधित है।

13. निदेशकगणों के दायित्वपूर्ण वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के अनुसार निगम के बोर्ड के निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि :

(i) वार्षिक लेखों की तैयारी करने में सामग्री को छोड़ने के संदर्भ में यदि कुछ होता है तो उसके उचित व्याख्या सहित लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है जैसाकि अलग से लेखाकरण नीति के टिप्पणियों में दर्शाया गया है।

(ii) उन्होंने ऐसी ही लेखाकरण नीतियों को चुना है और उसे संगतिपूर्वक लागू किया है एवं उचित व विवेक से निर्णय एवं अनुमानित किया है जिससे 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की कार्य-प्रणाली एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि के दृष्टिकोण से एक सच्ची एवं स्वच्छ तस्वीर दिखाई देता है।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखा और अन्य अनियमिताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड्स के रख-रखाव को उचित ढंग से रखा है।

(iv) उन्होंने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

(v) कंपनी सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को रखने हेतु इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) का उप खंड(ई) लागू नहीं है।

(vi) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

14. लेखा पर लेखापरीक्षा के मंतव्य एवं वक्तव्य

समीक्षाधीन वर्ष के लिए निगम के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों का मंतव्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

15. मानवीय श्रोत प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

निगम के मानव संसाधन विभाग निगम के कर्मचारियों के ज्ञान को उनके संबंधित क्षेत्रों में अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस दिशा में कर्मचारियों को उनके पेशेवर क्षेत्रों में नवीनतम विकास और परिवर्तनों से अवगत कराने के लिए नियमित आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 में सीपीआईओ द्वारा परस्पर विरोधी हितों का प्रबंधन, विभिन्न

प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थानों और संगठनों के माध्यम से नए श्रम संहिता, 2021 का कार्यान्वयन और इसके प्रभाव, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मजबूत होकर सामने आना, सचेतन पर कार्यशाला, क्रेडिट प्रबंधन पर कार्यशाला, संसदीय प्रश्न और उत्तर/संसदीय समिति की प्रणाली, पीओएसएच, अनुशासनात्मक नियम और प्रक्रियाएं जैसे विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन एवं भौतिक मोड के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। निगम के दोनों नियमित और संविदागण कर्मचारियों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया।

वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

16. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

निगम में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से की जाती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को नामित किये गये हैं। मांगी गई सूचना नियत समय के अंदर दी जाती है।

17. मानव शक्ति

31.03.2022 तक निगम में 94 नियमित, 36 आकस्मिक एवं 60 संविदागत कर्मचारीगण थे।

18. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.जा. की स्थिति

31.03.2022 तक निगम में स्थायी कर्मचारियों के रूप में 16 अनु.जाति, 08 अनु.जनजाति एवं 16 अ.पि.जाति थे।

19. परिवार कल्याण

परिवार कल्याण के संबंध में निगम ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी तरह का प्रयास किया है।

20. यौन उत्पीड़न संबंधी सरकारी निदेशों का अनुपालन

निगम ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में विधिवत् आंतरिक समिति का गठन किया है जिसमें निगम के प्रधान कार्यालय के चार वरिष्ठ कर्मचारी शामिल हैं जिनमें से दो महिलाएँ हैं।

21. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु निगम द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा

निगम को शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई विनिर्दिष्ट योजना नहीं सौंपी गई है और उसके लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं की गई है। फिर भी शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को वाहन भत्ता पर खर्च की इजाजत दी जा रही है जो सामान्य मामले में भुगतान की गई वाहन भत्ता की राशि से दोगुना है।

31.03.2022 तक निगम के नियमित 10(दस) शारीरिक विकलांग कर्मचारीगण इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं।

22. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्यक्रमों के अनुसार निगम ने राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करते आ रहा है। निगम के प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारीगण निरंतरता के आधार पर हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 14 सितम्बर, 2021 को हिंदी दिवस मनाया गया और 01 सितम्बर, 2021 से 13 सितम्बर, 2021 के बीच हिंदी पखवाड़ा भी मनाया किया गया जिसमें प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निगम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी दिवस को लक्ष्य कर ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से तिमाही समीक्षा बैठकें हो रही हैं एवं बोर्ड को उनकी बैठक में नियमित रूप से इसकी प्रगति के बारे में सूचित किया जा रहा है।

23. सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम

26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने वर्ष 2021-22 के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय के रूप में "स्वतंत्र भारत @75: ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता" को अपनाया था। सप्ताह के दौरान निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में सत्यनिष्ठा शपथ ली गई। प्रधान कार्यालय में शपथ सीएमडी, जेसीआई द्वारा दिलाई गई। कर्मचारियों द्वारा सीवीसी की वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रतिज्ञा भी ली गई।

सतर्कता सप्ताह के अंतिम दिन श्री प्रवीण अम्बष्ठ, उप निदेशक, सुरक्षा, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय पर निगम के कर्मचारियों को प्रबुद्ध करने और विभिन्न सतर्कता से संबंधित विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

24. बोर्ड के निदेशकगण

श्री संजय शरण, संयुक्त सचिव (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय, निगम के बोर्ड के सरकारी नामित निदेशक को 27.05.2021 को निगम का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।

इसके उपरांत श्री ए.के. जॉली को 01.02.2022 से छह महीने की अवधि के लिए भापनि के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था या सीएमडी, भापनि के द्विभाजित पद के विलय के लिए एसीसी की मंजूरी में से जो भी पहले हो।

निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. एस.के. पांडा का कार्यकाल 08.08.2021 को समाप्त हो गया।

25. वार्षिक विवरण का सार

फार्म सं.एमजीटी-9

वार्षिक विवरण का सार

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)

नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I	**पंजीकरण और अन्य ब्यौरा**	
i)	सीआईएन	यू17232डब्ल्यूबी1971जीओआई027958
ii)	पंजीकरण तिथि	02/04/1971
iii)	कंपनी का नाम	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर/संघ सरकार कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क ब्यौरा	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, 7वां तल, कोलकाता-700 087 दूरभाष: 033 2252 7027 / 7028 फैक्स: 91 33 2252 1771 / 7390
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	नहीं
vii)	रेजिस्ट्रर और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क ब्यौरा, यदि कुछ हो	लागू नहीं

II. कंपनी के प्रधान व्यापार के क्रिया-कलाप:

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कंपनी के कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा हो, को दर्शाया जाए:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	जूट बीज, जूट और इससे संबंधित उत्पादों का व्यापार एवं विवरण		100%

III. होल्डिंग, सहायक और सह कंपनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सह	रखे गये शेयरों का %	लागू धारा
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर होल्डिंग पेटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रोमोटर्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) एनआरआइज – व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए) = (ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

डी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आई) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)									
2. गैर संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से अधिक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स एवं एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य

(ii) प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर			वर्ष के अंत में रखे गये शेयर			वर्ष के दौरान रखे गये शेयर में % परिवर्तन
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य
	कुल	**500000**	**100**	**शून्य**	**500000**	**100**	**शून्य**	**शून्य**

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्डिंग पेटर्न (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

क्र. सं.	भारत के राष्ट्रपति	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	500000	100	500000	100
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी (i) मूल राशि (ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया (iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	रु.0.00	-	-	रु.0.00
कुल (i)+(ii)+(iii)	**रु.0.00**			**रु.0.00**
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन ♦ बढ़ोतरी ♦ कटौती	रु.0.00	- -	- -	रु.0.00
शुद्ध परिवर्तन	**रु.0.00**			**रु. 0.00**
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी i) मूल राशि (ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया (iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	रु.0.00 - -	- - -	- - -	रु. 0.00 -
कुल (i)+(ii)+(iii)	**रु. 0.00**			**रु. 0.00**

VI. निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

निगम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकगण दोनों कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी की नियुक्ति एवं कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किया जाता है।

VII. अपराधों का दंड/सजा/समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	लगाये गये दंड/ सजा/समझौता फीस का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील की गई, यदि कुछ हो (ब्यौरा दें)
ए. कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी. निदेशकों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. चूक में अन्य अधिकारियों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

26. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय

जैसाकि विगत रिपोर्ट में सूचित किया गया है, निगम हमेशा ऊर्जा के संरक्षण के सकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत रहा है और इस संबंध में वह ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए हमेशा ग्रहणशील रहा है। वर्तमान में यह अपने सभी कार्यालयों में एलईडी लाइटों का उपयोग करता है। अपने कई क्षेत्रीय कार्यालयों/आरएलडीज एवं डीपीसीज में सौर लाइट प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। निगम के कार्यालयों में सभी विद्युत उपकरणें कार्य-समय के उपरांत अनिवार्य रूप से बंद हो जाती है। कार्यालय उपयोग के लिए विद्युत उपकरण चुनते समय उसकी उर्जा दक्षता सुनिश्चित की जाती है। निगम सभी कार्यालयों में बिजली की खपत को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। निगम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी "अनुशंसित इष्टतम तापमान सेटिंग के माध्यम से बिल्डिंग स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण" से संबंधित दिशा-निर्देशों का निष्ठा से पालन करता है।

27. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, यथा संशोधित के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मेसर्स एस.के. मल्लिक एण्ड कं., कोलकाता को निगम का सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम को लागत के रिकार्डों का रख-रखाव करने की आवश्यकता नहीं है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

28. आभार प्रदर्शन

निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पटसन आयुक्त का कार्यालय एवं नेशनल जूट बोर्ड को निगम के कार्यों में समय-समय पर उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। वे कृषि लागत और मूल्य आयोग, राज्य सरकारों, कृषि और सहकारिता विभागों, राज्य के शीर्ष सहकारिता संगठनों, पटसन विकास निदेशालय से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक लि. तथा अन्य बैंकों को उनके सहयोग और आवश्यक समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण मेसर्स स्पान एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, आंतरिक लेखापरीक्षक, एस.के.मल्लिक एंड कं., सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं कंपनी पंजीयक कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अंत में, निदेशकगण निगम के स्टाफ, अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों द्वारा दिये गये सहयोग हेतु अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

(अजय कुमार जॉली)
प्रबंध निदेशक

तिथि : 18.10.2022
स्थान : कोलकाता

परिशिष्ट "ए"

वित्तीय परिणाम 2021-22

(रु. लाख में)

	अन्तर्देशीय कच्चा जूट		जूट बीज	विविध जूट उत्पाद	कुल
	मूल्य समर्थन	वाणिज्यिक			
आय					
विक्रय	204.46	2013.47	798.67	113.64	3130.24
ब्याज	587.82	0.00	0.00	0.81	588.63
सरकार से आर्थिक सहायता	2454.00	0.00	0.00	0	2454.00
अन्य जमा	433.23	0.00	3.86	0	437.09
अन्तर्देशीय कच्चा जूट में हस्तांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम स्टॉक	53.07	228.30	179.53	33.08	493.98
पूर्व अवधि का समायोजन				0	0
कुल	**3732.58**	**2241.77**	**982.06**	**147.53**	**7103.94**
व्यय					
प्रारंभिक स्टॉक	146.82	1124.52	314.35	35.29	1620.98
क्रय	26.27	708.82	745.83	89.46	1570.38
व्यापारिक खर्चे	4.81	129.71	0.01	11.08	145.61
गोदाम भाड़ा एवं बीमा	167.26	27.13	10.76	1.53	206.68
अन्तर्देशीय कच्चा जूट से हस्तांतरण	0	0	0	0	0.00
स्थायी खर्चे	2443.35	0	0	1.65	2445.00
पूर्व अवधि का समायोजन	2474.00	0	0	0	2474.00
कुल	**5262.51**	**1990.18**	**1070.95**	**139.01**	**8462.65**
अधिक्य(+)/कमी(-) ब्याज और मूल्यह्रास से पहले एक वर्ष का परिचालन	**-1529.93**	**251.59**	**-88.89**	**8.52**	**-1358.71**
ब्याज	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
मूल्यह्रास और परिशोधन	19.48	0.00	0.00	0.00	19.48
आयकर के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	-1549.44	251.59	-88.89	8.52	-1378.22
प्रस्तावित लाभांश	0.00	0	0	0	0.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	0.00	0	0	0	0.00
वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	0.00	0	0	0	0.00
31.03.2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष					**15023.62**
31.03.2022 तक आरक्षित एवं अधिशेष					**12869.23**

परिशिष्ट "बी"

51 वर्षों (1971-72 से 2021-22) के लाभ-हानि का सूक्ष्म-वीक्षण

(रु. करोड़ में)

		2021-22 तक संचयी	कुल व्यय रु.5370.87 के विभिन्न मदों की प्रतिशतता
I.	**आय**		
	विक्रय	3802.09	
	सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	749.99	
	सरकार से आर्थिक सहायता (बीज)	14.93	
	पश्चिम बंगाल से विशेष आर्थिक सहायता (एमएसपी)	1.55	
	अन्य आय	286.64	
	अंतिम स्टॉक	4.94	
		4884.68	**91**
II.	**व्यय**(स्थायी खर्च एवं ब्याज को छोड़कर)		
	क्रय	3046.78	
	व्यापारिक एवं परिचालन खर्चे	336.56	
	भंडारण	100.20	
	बीमा	33.86	
	पूर्व अवधि तथा अन्य का समायोजन	16.20	
	आपवादिक मदें	24.74	
		3558.34	**66**
III.	स्थायी खर्च एवं ब्याज से पहले का अधिशेष (I-II)	1326.34	
IV.	बाद : स्थायी खर्च	1226.98	**23**
V.	ब्याज से पहले का अधिशेष/(कमी) (III-IV)	99.36	
VI.	योग : उधार पर ब्याज	(585.58)	**11**
		(486.22)	
VII.	आयकर (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22)	88.47	
	फ्रिंज लाभ कर (2005-06 से 2008-09 तक)	0.37	
	वितरण कर सहित सरकार को लाभांश (1971-72, 1973-74, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22)	18.58	
	हानि :	(593.64)	
VIII.	खाते में आर्थिक सहायता जमा (2002-03 तक)	555.20	
IX.	वित्तीय पुन:संरचना के परिणामस्वरूप बट्टे खाते में 2002-03 तक का संचित हानि	144.17	
X.	वित्तीय पुन:संरचना के परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ	22.96	
XI.	तुलन-पत्र में लाये गये वित्तीय वर्ष 2021-22 तक का लाभ (जमा अंक) (VIII+IX+X-VII)	128.69	

परिशिष्ट "सी"

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

1	कंपनी के सीएसआर की नीति के संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें अपनाये जानेवाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के परिदृश्य और सीएसआर की नीति व परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ शामिल हैं।	भापनि एक लाभकारी संगठन होने के नाते उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापें करना है। सीएसआर की समिति द्वारा संस्तुत सीएसआर नीति एवं 25.06.2019 को आयोजित बोर्ड की 252वीं बैठक में उनके द्वारा दिये गये अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए निगम के सीएसआर क्रिया-कलापें की गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। **निगम का सीएसआर नीति** भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) का स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य साधारणत: उगाए गए जूट के लिए समुचित मूल्य प्रदान करते हुए और विशेषकर मजबूरन बिक्री करने से बचाते हुए जूट कृषकों के हितों का रक्षा करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप करने के अतिरिक्त भापनि बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक क्रय व विक्रय भी करता है। तदनुसार, जूट कृषकगण जो सीमित आय के साथ बड़े पैमाने पर छोटे और मार्जिनल कृषक हैं, का कल्याण इस सीएसआर नीति का फोकस व मार्ग-दर्शक कारक हो सकता है। प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध सीएसआर क्रिया-कलापों पर विगत तीन वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ का 2(दो) प्रतिशत व्यय करने का प्रयत्न करेगा। किसी खास वर्ष में सीएसआर क्रिया-कलापों की पहचान एवं कार्यान्वित करते समय लोक उद्यम विभाग, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा जारी निदेशों, यदि कुछ हो, को ध्यान में रखा जाएगा। जूट कृषकों/बुनकरों को उनकी कमाई और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए नए कौशल व प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने और जूट कृषकों/बुनकरों के संतानों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चल रही स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को पूरा करने का प्रयास किये जाएंगे जिसमें जूट कृषकों/बुनकरों के लिए पीने का पानी, स्वच्छता एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल टीकाकरण आदि शामिल हैं। राशि जो वर्ष के अंत में अव्ययित रह सकती है उसे आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा। **वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बनाये गये योजनाओं एवं बजट का कार्यक्रम** 1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए सामान्य विषय के रूप में कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य और पोषण को मंजूरी देने वाले डीपीई के दिशा-निदेश के अनुसरण में सरकारी/जिला अस्पतालों को योगदान। 2. व्यावसायिक पैमाने पर जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में सहायता के साथ-साथ कौशल विकास के लिए परियोजना। 3. सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान। 4. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से व्यावसायिक पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन के लिए अध्ययन, डिजाइन का विकास और हैंडहोल्डिंग।

2	सीएसआर समिति का गठन	1. श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष 2. श्री ए. के. जॉली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – सदस्य 3. श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य 4. श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) – सदस्य 5. डा. एस. के. पांडा, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष (08.08.2021 तक)
3	विगत तीन वित्तीय वर्षों (2018-19, 2019-20 एवं 2020-21) के लिए कंपनी का औसतन शुद्ध लाभ (कर से पहले)	रु.19,26,62,062/-
4	निर्धारित सीएसआर पर खर्च (उपरोक्त 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)	रु.38,53,241/-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा 1) वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की जाने वाली कुल राशि 2) अव्ययित राशि, यदि कुछ हो 3) वित्तीय वर्ष क दौरान खर्च की गई राशि का ढंग	 1) रु.38,53,241/- 2) 2022-23 के सीएसआर बजट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु.26.87 लाख खर्च की जाएगी। 3) खर्च की गई राशि के ढंग को नीचे के तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका – 2021-22 के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	सीएसआर की परियोजना	सेक्टर	परियोजना राज्य/ जिला	राशि (रु. में)
I	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए सामान्य विषय के रूप में कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य और पोषण को मंजूरी देने वाले डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में सरकारी/जिला अस्पतालों को अंशदान।	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल एवं असम	9,65,248/-
II	इस संबंध में डीपीई के दिशा-निदेश के अनुसार सीएसआर समिति द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों/जिलों जहां निगम का संचालन है, में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी क्रिया-कलापों के लिए सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन।	स्वास्थ्य	असम एवं वैजाग	6,64,750/-
III	जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल के विकास के लिए परियोजनाएं।	महिलाओं और बच्चों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाले रोजगार को बढ़ावा देना।	ओडिसा, तेलंगाना एवं उत्तराखंड	9,00,000/-
IV	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित के लिए उपाय	पूरे भारत	2,00,000/-
	कुल			**27,29,998/-**

6	चिह्नीत राशि को खर्च नहीं करने का कारण	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास के लिए दो परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी और तदनुसार आरएफक्यूज जारी किए गए थे। हालाँकि कोविड-19 महामारी के कारण पर्याप्त प्रत्युत्तर नहीं मिली थी। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दो संगठनों की पहचान की गई है और परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं जिनका विवरण आगामी वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण प्रारंभ में मातृ एवं शिशु हेतु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उन्नयन के लिए सरकारी अस्पतालों की पहचान करने में समस्याएँ थीं। हालांकि अंततः चार अस्पतालों की पहचान की गई और धनराशि जारी की गई जबकि एक अस्पताल को 31 मार्च, 2021 के अंदर अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शेष एक अस्पताल की भी पहचान की गई है जिसका विवरण आगामी वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से व्यावसायिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन के लिए अध्ययन, डिजाइन के विकास और हैंडहोल्डिंग के लिए परियोजना प्रक्रियाधीन है और उसकी स्थिति को आगामी वार्षिक रिपोर्ट में सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा।
7	सीएसआर समिति से विवरण	सीएसआर समिति ने पुष्टि की है कि पैरा-1 में दी गई सीएसआर के क्रिया-कलापों की रूपरेखा के अनुरूप सीएसआर से संबंधित खर्च की गई है।

पांच वर्षों की रूपरेखा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	ब्यौरा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ए	**परिचालन के आंकड़े**					
	कुल कारोबार	18004.07	18433.84	12786.83	11577.60	3130.24
	अन्य आय	5295.87	6388.77	4820.68	3920.26	3479.73
	खर्च	20547.37	22789.88	15478.48	13898.41	5514.18
	पूर्व अवधि का समायोजन (शुद्ध)	6.46	-18.66	0.00	0.00	0.00
	आपवादिक मदें	0.00	0.00	0.00	0.00	-2474.00
	कर से पहले लाभ	2746.11	2051.39	2129.03	1599.44	-1378.21
	कर	977.92	891.46	589.48	384.21	0.00
	आस्थगित कर खर्चे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर के उपरांत लाभ	1768.20	1159.93	1539.55	1215.23	-1378.21
	लाभांश कर सहित लाभांश	638.50	419.53	462.00	776.18	0.00
	सामान्य रिजर्व में राशि हस्तांतरण	1129.70	740.40	1077.55	439.05	-1378.21
बी	**वित्तीय स्थिति**					
	नियोजित पूंजी	13128.94	13650.37	14770.39	15523.62	13369.23
	अप्रचलित परिसंपत्तियां	238.99	252.31	396.70	330.26	287.91
	प्रचलित परिसंपत्तियां	26399.78	21865.66	21290.29	22910.69	20321.39
	इक्विटी एवं देयताएं:					
	i) शेयर पूंजी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	ii) आरक्षित एवं अधिशेष	12628.94	13150.37	14270.39	15023.62	12869.23
	अप्रचलित देयताएं	3318.82	3731.46	3988.10	4008.68	3550.06
	प्रचलित देयताएं	10191.02	4736.14	2928.51	3708.65	3690.01
सी	**अनुपात**					
	पीबीटी/कुल कारोबार	0.15	0.11	0.17	0.14	-0.44
	पीएटी/कुल कारोबार	0.10	0.06	0.12	0.10	-0.44
	पीबीटी/नियोजित पूंजी	0.21	0.15	0.14	0.10	-0.10
	पीएटी/कुल मूल्य	0.13	0.08	0.10	0.08	-0.10
	कुल कारोबार/कुल मूल्य (कितनी बार)	1.37	1.35	0.87	0.75	0.23
	प्राप्ति योग्य व्यापार/कुल कारोबार (%)	26.05	10.78	13.71	6.70	3.41

S. K. Mallick & Co.
Chartered Accountants

BIKANER BUILDINGS, 1ST FLOOR, ROOM NO. :2
8-B, LALBAZAR STREET, KOLKATA - 700 001

Phone : (033) 4005 3787, E-mail : skmco.ca@gmail.com

कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा किये गये कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन की जांच की जैसाकि केंद्रीय लोक सेक्टर उद्यम (सीपीएसईज) के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.18(8)/2005-सीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कार्पोरेट गोवर्नेंस से संबंधित मार्ग-दर्शन ("मार्ग-दर्शन") में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव और कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारा उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जांच की दायरा सीमित है जिसे कंपनी द्वारा कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है जैसाकि मार्ग-दर्शन में निर्धारित है। यह न तो लेखापरीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर विचार प्रकट करना है।

हमारी राय से और जहां तक जानकारी है एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन किया है जैसाकि उपरोक्त मार्ग-दर्शन में निर्धारित किया गया है।

हम पुन: जानकारी देते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है न ही इसका दक्षता या प्रभाव है जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्य का संचालन किया है।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार (सदस्यता सं.055467)
यूडीआईएन:22055467एक्यूएफएचटीवाई1714

स्थान : कोलकाता
तिथि : 29.08.2022

Branch : C/0. D. SENGUPTA, AKSHAY APARTMENT. R.G. STREET, P.O. . THARPAKHANA. DIST. : RANCHI. JHARKHAND - 834001
MOBILE NO. : 98310 51467. E-mail : rsmallick@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय

31.03.2022 तक

राज्य	प्र.का./क्षे.का./आरएलडी	डीपीसीज/एससीज की संख्या	राज्यवार कुल डीपीसीज/एससीज
पश्चिम बंगाल	कोलकाता आरएलडी	12	69
	सिलीगुड़ी क्षे.का.	7	
	कूचबिहार क्षे.का.	6	
	तुलसीहाटा आरएलडी	8	
	कृष्णनगर क्षे.का.	14	
	बरह्मपुर क्षे.का.	12	
	बेथुवाडहरी आरएलडी	10	
असम	गुवाहाटी क्षे.का.	7	19
	गौरीपुर आरएलडी	5	
	जुरिया आरएलडी	7	
बिहार	फारबिसगंज आरएलडी	12	12
ओडिशा	भद्रक आरएलडी	6	6
आंध्रप्रदेश	पार्वतीपुरम् आरएलडी	2	2
त्रिपुरा	अगरताला क्षे.का.	2	2
कुल		**110**	**110**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट

सदस्यगण,

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से संबंधित रिपोर्ट

सशर्त राय

हमने **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा किया जिसमें 31 मार्च, 2022 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण और वर्ष के अंत तक का नकद प्रवाह विवरण और उस तिथि पर वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से देती हैं और कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित ("एएस") के साथ इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरण मानकों और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के कार्य और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और उसके नकदी प्रवाह का सही और स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

सशर्त राय हेतु आधार

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई के नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान अवधि की लेखापरीक्षा में हमने अलग से रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित कोई मुख्य लेखापरीक्षा मामले नहीं देखे हैं।

अन्य मामले

हम उपयोगकर्त्ताओं का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि उपरोक्त अवस्था में वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा निष्पादित किया गया है।

हमने अपने रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए नीचे वर्णित अन्य मामलों को निर्धारित किया है:

1. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 30 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.89,07,844/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।

2. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.7 दर्शाता है कि व्यापार देय राशि रु.9,40,64,653/- (पुन:वर्गीकरण के उपरांत विगत जमा शेष राशि रु.10,16,61,872/-) में जमा शेष राशि रु.11,49,759/- (पुन:वर्गीकरण के उपरांत विगत जमा शेष राशि रु.34,54,294) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।

3. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 8 दर्शाता है कि ग्राहकों से अग्रिम राशि रु.3,17,28,328/- (विगत जमा शेष राशि रु. 3,24,04,834/-) में जमा शेष राशि रु.33,96,878/-(विगत जमा शेष राशि रु. 62,61,257/-) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।

4. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.14 दर्शाता है कि व्यापार प्राप्य राशि रु.1,10,47,789/- (पुन:वर्गीकरण के उपरांत विगत जमा शेष राशि रु.7,79,10,322/-) में जमा शेष राशि रु.39,78,143/- शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।

5. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.36 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.9,02,589/- में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रु.3,70,408/- की वसूली हो चुकी है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणियों और उसपर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में प्रबंधन का विचार-विमर्श और विश्लेषण, बोर्ड के रिपोर्ट के परिशिष्ट सहित बोर्ड के रिपोर्ट, व्यापार के उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कार्पोरेट गोवर्नेंस और शेयरधारी का सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उसपर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन के निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना के भौतिक गलत विवरण है तो हमें उस तथ्य का रिपोर्ट करना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण इस वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में दर्शाये गये विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदार हैं जो साधारणत: भारत में स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों एवं इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के साथ-साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, इक्वीटी में परिवर्तन एवं नकद प्रवाह का सही व स्व्च्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है।

इस जवाबदेही में यह भी शामिल है कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी को रोकने व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का रख-रखाव, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन व प्रयोज्य, निर्णय व आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है और गलत विवरण दस्तावेज जो जालसाजी अथवा गलती से मुक्त है।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रबंधन को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रखने, प्रकटन करने जैसाकि लागू है, लाभप्रद व्यवसाय से संबंधित मामले एवं लेखाकरण का लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर उपयोग करने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने की जिम्मेदारी है जबतक कि प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बोर्ड के निदेशकगण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरणियां गलत विवरण से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरणियां धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और वह सामग्री माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर उन्हें इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित को भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के आधार को साबित करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखाकरण के सक्रिय और लाभप्रद के रूप में और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की सक्रियता और लाभप्रद के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को संशोधित करें। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी का सक्रिय और लाभप्रद के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करें और क्या वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण का परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित ज्ञान वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में गोवर्नेंस के प्रभारीगण के साथ संवाद करते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं।

हम उन प्रभारीगण को भी विवरण प्रदान करते हैं जिन पर गोवर्नेंस प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उनके साथ सभी संबंध और अन्य मामलों का संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है और जहां सुरक्षा उपाय से संबंधित लागू हो।

गोवर्नेंस के प्रभारीगण के साथ संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर रिपोर्ट करते हैं कि:

हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे जानकारी व विश्वास से आवश्यक थे।

(ए) हमारी राय से लेखा के समुचित बही-खाते को जैसाकि विधि द्वारा अपेक्षित है उसे कंपनी द्वारा रखा गया है जहां तक उन बही-खाते की हमारी जांच से प्रकट होता है।

(बी) इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण लेखा के बही-खाते से मेल खाते हैं।

(सी) हमारी राय से उपरोक्त वित्तीय विवरणियों का अनुपालन इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के साथ किया गया है।

(डी) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत अपनी वित्तीय विवरणियों में वित्तीय आंकड़ों को पूर्ण संख्या में प्रकट किया है।

(ई) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के शर्त्तानुसार इस अधिनियम की धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावपूर्णता के संदर्भ में हमारा पृथक रिपोर्ट **"संलग्नक-सी"** में देखें। हमारा रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन की प्रभावपूर्णता पर असंशोधित राय प्रकट करता है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2016 का नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय से व जहां तक जानकारी है एवं हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार :

ए. कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

बी. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिससे उन्हें लागू कानून या लेखा मानकों के अंतर्गत कोई भी सामग्री की पूर्वानुमान योग्य हानि हुआ हो।

सी. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि लागू हो, के हस्तांतरण में कोई विलंब नहीं हुई है।

2. जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित विवरण को **"संलग्नक-ए"** में लागू सीमा तक दिये हैं।

3. जैसाकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत अपेक्षित है, हम लेखापरीक्षा की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निदेशों/उप-निदेशों से संबंधित विवरण **"संलग्नक-बी"** में दिये हैं। उस पर और कंपनी के लेखों एवं वित्तीय विवरणों पर पड़े प्रभाव पर कार्रवाई की गई।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार(सदस्यता सं.055467)
यूडीआईएन:22055467एक्यूएफएचटीवाई1714

स्थान : कोलकाता
तिथि : 29.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का "संलग्नक-ए"

कंपनी (लेखापरीक्षक के रिपोर्ट) आदेश, 2020 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण

जहां तक हमें जानकारी है और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई बही एवं रिकार्डों, हम जानकारी देते हैं कि:

(i) (ए) कंपनी ने संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव कर रहा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति शामिल है।

(बी) कंपनी के पास हर साल एक बार सभी परिसंपत्तियों को कवर करने के लिए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रत्यक्ष सत्यापन का एक कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण सत्यापन के लिए शेष थे और वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उसका प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन किया गया था।

(सी) कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) एवं उसके अधीन बने नियम के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के विरूद्ध लंबित नहीं है।

(ii) (ए) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है एवं ऐसे सत्यापन पर कोई भी विसंगतियां ध्यान में नहीं आई है।

(बी) कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यकारी पूंजी सीमा (नकद ऋण) स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न/विवरण कंपनी के लेखा बही के अनुरूप हैं।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान निवेश नहीं किया है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है और अन्य पार्टियों को असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं की है। तदनुसार इस आदेश के (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(iv) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों से जुड़े ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान या कोई अन्य संबंधित प्रावधान एवं उसके अंतर्गत तैयार नियमों के अधीन कंपनी ने जमा राशि स्वीकार नहीं किया है। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा अनुपालन की आवश्यकता वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कंपनी के उत्पादों के लिए लागत रिकार्डों के रख-रखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(vi) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

(vii) (ए) कंपनी आयकर, ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी की अविवादित सांविधिक बकाया राशि एवं कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि को सक्षम प्राधिकारी के पास साधारणत: नियमित रूप से जमा कर रहा है।

(बी) निर्धारण वर्ष 2009-10 के 896.76 लाख रु., 2011-12 के 84.02 लाख रु., निर्धारण वर्ष 2013-14 के 195.45 लाख रु., निर्धारण वर्ष 2018-19 के 188.29 लाख रु. एवं निर्धारण वर्ष 2019-20 के 140.42 लाख रु. की आयकर मांग आयकर प्राधिकारी के समक्ष अपील के अधीन है।

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं था।

(ix) (ए) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(बी) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(सी) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है और वर्ष की प्रारंभ में कोई आवधिक ऋण बकाया नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि में कोई निधि नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(ई) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संस्था से कोई निधि नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(एफ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(x) (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से मुद्रा नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(बी) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा बदलने योग्य डिबेंचरों (संपूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई भी तरजीही आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(xi) (ए) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और न ही कंपनी में कोई धोखाधड़ी देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

(बी) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा 12 के अंतर्गत कोई रिपोर्ट फॉर्म एडीटी-4 में नहीं भरी गई है जैसाकि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार के साथ निर्धारित किया गया है।

(सी) वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) हमें कंपनी द्वारा पहरेदार द्वारा उठाई गई एवं कंपनी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी शिकायत के बारे में सूचित नहीं किया गया है और इसलिए आदेश के खंड 3(xi)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अंतर्गत कोई भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए आदेश के खंड (xiii) लागू नहीं होता है।

(xiv) (ए) हमारी राय से कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(बी) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत इस वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय से वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (ए) हमारी राय से कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(ए), (बी) एवं (सी) लागू नहीं होता है।

(बी) हमारी राय से ग्रुप के अंदर कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है {जैसाकि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है} और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(xvii) वित्तीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते केंद्र सरकार लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करती है और इसलिए आदेश के खंड 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(xix) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, बढ़ती उम्र और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, बोर्ड के निदेशकगण एवं प्रबंधन की योजनाओं का हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा की तारीख तक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन-पत्र की तारीख तक मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है जब वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय हों। हम आगे जानकारी देते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर बकाया सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा जब कभी वे देय होंगे। हालांकि हम दर्शाते हैं कि कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

(xx) (ए) कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट के अनुसार चल रही परियोजना के अलावा आवश्यक राशि खर्च की है।

(बी) चूंकि कंपनी कोई भी चल रहे परिचोजना से डील नहीं कर रही है इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(बी) लागू नहीं होता है।

(xxi) आदेश के खंड 3(xxi) लागू नहीं होता है।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार (सदस्यता सं.055467)
यूडीआईएन:22055467एक्यूएफएचटीवाई1714

स्थान : कोलकाता
तिथि : 29.08.2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का "संलग्नक-बी"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के शर्त्तानुसार **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** ('कंपनी') के सदस्यों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हमारे रिपोर्ट में दर्शाये गये संलग्नक।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सामान्य दिशा-निर्देश

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण के लेन-देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो लेखों के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव की सत्यनिष्ठा पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेन-देन की प्रक्रिया के प्रभाव यदि कोई हो, को दर्शाया जाए।	कंपनी आईटी सिस्टम-टैली ईआरपी 9 पर अपने खाते की बही का रखरखाव करती है। सभी लेखाकरण की लेन-देन टैली ईआरपी 9 के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। हमने ऐसा कोई लेन-देन नहीं देखा जो टैली ईआरपी 9 के बाहर संसाधित किया गया हो।
2.	क्या ऋण की अदायगी में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन की जा रही है या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव दर्शाया जाए।	हमारे सत्यापन के आधार पर और प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण की अदायगी में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं की गई थी या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य निधियों को इसके निबंधन और शर्तें के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किये गये थे? व्यतिक्रम के मामलों की सूची।	कंपनी को कच्चे जूट के एमएसपी के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए अनुदान/सब्सिडी प्राप्त हुई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य से दिया गया था। हमें कोई व्यतिक्रम नहीं मिला है।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार(सदस्यता सं.055467)
यूडीआईएन:22055467एक्यूएफएचटीवाई1714

स्थान : कोलकाता
तिथि : 29.08.2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का "संलग्नक-सी"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट।

31 मार्च, 2022 तक का हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (इसके उपरांत "कंपनी" के रूप में दर्शाया गया है) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणियों का हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी के प्रबंधन को कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित व रख-रखाव करने का दायित्व है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार को सुव्यवस्थित रूप से एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी रूप से परिचालन हो रहे थे जिसमें कंपनी के नीतियों का अवलंबन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखा-धड़ी व त्रुटियां रोकना एवं पता लगाना, लेखाकरण के रिकार्डों की शुद्धता व संपूर्णता एवं विश्वासनीय वित्तीय सूचना को सही समय से तैयार करना शामिल है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित विचार प्रकट करना। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी ("मार्ग-दर्शन की टिप्पणी") एवं लेखाकरण संबंधी मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित समझा गया के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है, जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर लागू है और दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों एवं मार्ग-दर्शन की टिप्पणी की मांग है कि हम क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रख-रखाव किया गया है से संबंधित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के नैतिक आवश्यकताओं, प्लान एवं कार्य-निष्पादन का अनुपालन करें और ऐसी नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावकारी रूप से परिचालित हुई है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उसके परिचालन के प्रभावपूर्णता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता से संबंधित लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ताल-मेल प्राप्त करना, जोखिम आंकना जो भौतिक कमजोरी विद्यमान है, डिजाइन का जांच व मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावपूर्णता का परिचालन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें वित्तीय विवरणियों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखा-धड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा का साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखापरीक्षा की राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता एवं साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां एवं कार्यविधि शामिल हैं:

(1) उचित ब्यौरा के साथ रिकार्डों का रख-रखाव होना जो कंपनी के परिसंपत्तियों का लेन-देन व प्रबंधन को सही ढंग से व न्यायपूर्वक प्रतिविंबित करता है।

(2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका लेन-देन रिकार्ड होता है जैसाकि साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक है एवं कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों की अनुमति के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं खर्च की जा रही है और

(3) कंपनी के परिसंपत्तियों का अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा प्रबंध को रोकने या सही समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणियों पर प्रभाव डाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिभावी, त्रुटि अथवा धोखा-धड़ी की वजह से गलत विवरणियों की संभावना शामिल करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाओं के कारण घटित हो सकता है और पता नहीं लगा हो। भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा जिससे नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय से सभी मामलों में कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का रख-रखाव किया है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2022 तक का प्रभावी ढंग से परिचालन किया है।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार(सदस्यता सं.055467)
यूडीआईएन:22055467एक्यूएफएचटीवाई1714

स्थान : कोलकाता
तिथि : 29.08.2022

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निगम पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अन्य मामलों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
अन्य मामले		
1.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 30 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.89,07,844/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।	भापनि केवल इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए भापनि ऐसी आवधिक जमा राशि पर अर्जित ब्याज से सृजित आय का दावा नहीं कर रहा है। चूंकि ये आवधिक जमा राशि भापनि के नाम से हैं और बैंकों द्वारा भापनि के पैन के विरूद्ध टीडीएस की कटौती की जा रही है इसलिए भापनि के खातों एवं संबंधित परियोजनाओं के खातों के बीच आवश्यक आयकर लेखांकन प्रविष्टियां पास हुई हैं। इसे पहले ही वार्षिक लेखा की टिप्पणी सं.4 एवं 30 के अंतर्गत दर्शाया जा चुका है।
2.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.7 दर्शाता है कि व्यापार देय राशि रु.9,40,64,653/- (पुन:वर्गीकरण के उपरांत विगत जमा शेष राशि रु.10,16,61,872/-) में जमा शेष राशि रु.11,49,759/- (पुन:वर्गीकरण के उपरांत विगत जमा शेष राशि रु.34,54,294) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	भापनि के प्रबंधन इस तरह के मुद्दे का लगातार समीक्षा कर रहा है और सुलह होने पर विगत वर्षों के जमा शेष राशि में शामिल 23,04,535/- रुपये जो तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था, को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निपटान किया गया। तीन वर्षों से अधिक के जमा शेष राशि से संबंधित मामले की निरंतर निगरानी, समीक्षा और समाधान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सुधारात्मक उपाय यदि कुछ हो तो, किया जाएगा।
3.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 8 दर्शाता है कि ग्राहकों से अग्रिम राशि रु.3,17,28,328/- (विगत जमा शेष राशि रु. 3,24,04,834/-) में जमा शेष राशि रु.33,96,878/-(विगत जमा शेष राशि रु. 62,61,257/) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	भापनि के प्रबंधन इस तरह के मुद्दे का लगातार समीक्षा कर रहा है और सुलह होने पर विगत वर्षों के जमा शेष राशि में शामिल 28,64,379/- रुपये जो तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था, को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाने में सफल रहा। तीन वर्षों से अधिक के जमा शेष राशि से संबंधित मामले की निरंतर निगरानी, समीक्षा और समाधान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सुधारात्मक उपाय यदि कुछ हो तो, किया जाएगा।
4.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.14 दर्शाता है कि व्यापार प्राप्य राशि रु.1,10,47,789/- (पुन:वर्गीकरण के उपरांत विगत जमा शेष राशि रु.7,79,10,322/-) में जमा शेष राशि रु.39,78,143/- शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	भापनि के प्रबंधन इस तरह के मुद्दे का लगातार समीक्षा कर रहा है और सुलह होने पर विगत वर्ष के जमा शेष राशि में शामिल 7,39,916/- रुपये जो तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था, को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाने में सफल रहा। तीन वर्षों से अधिक के जमा शेष राशि से संबंधित मामले की निरंतर निगरानी, समीक्षा और समाधान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सुधारात्मक उपाय यदि कुछ हो तो, किया जाएगा।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
5.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.36 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.9,02,589/- में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रु.3,70,408/- की वसूली हो चुकी है।	निगम ने एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के विरूद्ध ऑनलाइन (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से सीधे जूट कृषकों को भुगतान का संवितरण करने की पहल की थी। इस प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनाया गया था और जूट कृषकों को भुगतान करने के लिए खरीद इनपुट डेटा भी संसाधित किया गया था। हालांकि, एक अनपेक्षित त्रुटि के कारण जो सामान्य जोखिमों से परे थी जिसे कंप्यूटरीकरण करते समय नहीं देखा जा सकता था, ऑनलाइन भुगतान के निष्पादन की प्रारंभिक अवधि के दौरान अज्ञात लाभार्थियों को रु.1.45 करोड़ की राशि हस्तांतरित हो गई थी। प्रबंधन ने तुरंत हमारे बैंकरों के पास यह मामला उठाया एवं राशि जो गलत लाभार्थियों को चला गया था, की वसूली करने में सतत् प्रयास किए। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान रु.135.97 लाख की वसूली की गई एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्रारंभिक जमा शेष राशि रु.9.03 लाख था। इसके अलावा हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान रु.3.70 लाख की वसूली की और 31.03.2022 तक अंतिम जमा शेष राशि रु.5.32 लाख था। इसके अलावा 01.04.2022 से 15.08.2022 के बीच रु.0.90 लाख की वसूली की गई। साथ ही हम शेष राशि की वसूली करने के लिए बैंकों के साथ इस मामले का लगातार अनुसरण कर रहे हैं और बकाया राशि वसूल होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ब्यौरे को लेखा की टिप्पणी सं.36 में दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य-प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणियों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि 29 अगस्त, 2022 के उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया हूं।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

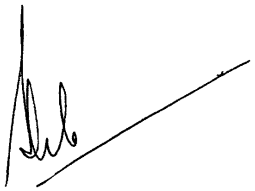

(सुपर्णा देब)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान)

कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 06 सितंबर, 2022

31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I. इक्वीटी एवं देयताएं			
अंशधारियों की निधि			
शेयर पूंजी	3(ए)	5,00,00,000	5,00,00,000
आरक्षित एवं अधिशेष	3(बी)	1,28,69,22,625	1,50,23,61,922
अप्रचलित देयताएं			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	26,85,10,347	28,28,27,812
दीर्घावधि प्रावधान	5	8,64,95,700	11,45,85,796
चालू देयताएं			
अल्पावधि उधार	6	2,421	-
व्यापारिक देय			
ए. सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	7	66,18,761	56,22,978
बी. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	7	8,74,45,892	9,60,38,894
अन्य चालू देयताएं	8	24,77,89,229	22,82,97,820
अल्पावधि प्रावधान	9	2,71,45,135	4,45,88,439
कुल		**2,06,09,30,110**	**2,32,43,23,661**
II. परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	10	2,43,14,872	2,31,70,254
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	10	2,70,427	4,06,177
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	11	73,297	57,590
अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां	12	41,32,910	42,12,347
चालू परिसंपत्तियां			
वस्तुसूची	13	4,93,99,009	16,20,98,922
व्यापारिक प्राप्य	14	1,06,75,075	7,75,25,835
नकद एवं नकद समतुल्य	15	1,88,31,88,276	1,53,22,65,798
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	6,70,11,570	2,41,36,392
अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	2,18,64,674	50,04,50,346
कुल		**2,06,09,30,110**	**2,32,43,23,661**
सामान्य सूचना और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1 एवं 2**		
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां	**27-42**		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।
हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एस.के. मल्लिक एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(सौमित्र घोष)	**(अभिक साहा)**	**(अमिताभ सिन्हा)**	**(अजय कुमार जॉली)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं.055467)		डीआईएन : 09022866	डीआईएन : 08427305

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को	31.03.2021 को
I.	**राजस्व**			
	परिचालन से राजस्व	**18**	55,84,24,009	1,49,27,59,604
	अन्य आय	**19**	10,25,72,660	5,70,25,540
	कुल राजस्व		**66,09,96,669**	**1,54,97,85,144**
II.	**खर्च**			
	व्यापारिक वस्तुओं का लागत एवं प्रत्यक्ष खर्च	**20**	16,76,45,675	1,02,39,32,689
	व्यापारिक वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन	**21**	11,26,99,913	(1,33,76,462)
	कर्मचारी लाभ खर्च	**22**	21,70,59,196	29,22,23,188
	वित्तीय लागत	**23**	2,723	1,020
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	**24**	19,47,908	16,65,333
	अन्य खर्चे	**25**	4,69,39,934	6,17,47,308
	विविध खर्चे	**26**	51,22,517	2,36,47,728
	कुल खर्च		**55,14,17,866**	**1,38,98,40,804**
	अपवादी एवं असाधारण खर्चे से पहले लाभ		**10,95,78,803**	**15,99,44,340**
	अपवादी मदें		24,74,00,000	-
	असाधारण मदें		-	-
	कर से पहले लाभ		**(13,78,21,197)**	**15,99,44,340**
	कर खर्चे :			
	वर्तमान कर		-	(3,84,21,000)
	आस्थगित कर		.	-
	इस अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**(13,78,21,197)**	**12,15,23,340**
	इक्वीटी शेयर का औसतन सं.(प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रु.)		**5,00,000**	**5,00,000**
	मूल अर्जन प्रति शेयर		-276	243
	मिश्रित अर्जन प्रति शेयर		-276	243
सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		**1 एंड 2**		
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां		**27-42**		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।
हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एस.के. मल्लिक एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(सौमित्र घोष)	**(अभिक साहा)**	**(अमिताभ सिन्हा)**	**(अजय कुमार जॉली)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं.055467)		डीआईएन : 09022866	डीआईएन : 08427305

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	2021-2022	2020-2021
ए. परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
कर एवं पूर्व अवधि के समायोजन से पहले लाभ/(हानि)	10,95,78,803	15,99,44,340
समायोजन हेतु :		
अपवादी मद	(24,74,00,000)	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे	19,47,908	16,65,333
अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ	(1,52,082)	
ब्याज आय	(5,88,62,199)	(4,66,23,748)
वित्तीय लागत	2,723	1,020
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(19,48,84,847)	11,49,86,945
वस्तुसूची में (बढ़ोतरी)/कमी	11,26,99,913	(1,33,76,462)
विवध देनदारों में (बढ़ोतरी)/कमी	6,68,50,760	9,15,25,768
ऋण एवं अग्रिम राशि में (बढ़ोतरी)/कमी	46,25,15,484	1,75,11,174
देयताओं एवं प्रावधानों में बढ़ोतरी/(कमी)	(5,67,56,459)	7,97,04,367
	39,04,24,851	29,03,51,792
बाद : भुगतान किये गये आयकर	(2,67,41,260)	(6,51,04,015)
परिचालन के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**36,36,83,591**	**22,52,47,777**
बी निवेश के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का क्रय	(30,43,460)	(11,86,112)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की बिक्री/वसूली	2,38,766	8,185
प्राप्त ब्याज	5,88,62,199	4,66,23,748
निवेश के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**5,60,57,505**	**4,54,45,821**
सी वित्तीय क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
ली गई अल्पावधि ऋण/(चुकाया गया)	2,421	(27,511)
वित्तीय लागत	(2,723)	(1,020)
वितरण कर सहित भुगतान किये गये लाभांश	(7,76,18,100)	(4,62,00,000)
वित्तीय क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(7,76,18,402)**	**(4,62,28,531)**
नकद एवं नकद के समतुल्य में शुद्ध बढ़ोतरी/कमी	34,21,22,694	22,44,65,067
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद के समतुल्य	1,30,15,37,132	1,07,70,72,065
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद के समतुल्य	**1,64,36,59,826**	**1,30,15,37,132**

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।
हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एस.के. मल्लिक एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(सौमित्र घोष)	**(अभिक साहा)**	**(अमिताभ सिन्हा)**	**(अजय कुमार जॉली)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं.055467)		डीआईएन : 09022866	डीआईएन : 08427305

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.08.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणी

ब्यौरा	2021-2022	2020-2021
नकद एवं नकद के समतुल्य		
तुलन-पत्र के अनुसार - नकद एवं नकद के समतुल्य	1,88,31,88,276	1,53,22,65,798
बाद: नकद, बैंक एवं सावधि जमा		
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	80,32,416	76,13,076
बायो-टेक्नोलॉजिकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	1,17,305	1,17,305
आईजेएसजी	13,94,854	14,60,630
भारत सरकार से रिबनर का विकास	1,32,10,180	1,25,25,307
जूट टेक्नोलॉजी मिशन	21,67,73,695	20,90,12,348
कुल नकद एवं नकद के समतुल्य	**1,64,36,59,826**	**1,30,15,37,132**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी :

1. सामान्य सूचना

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के अंतर्गत भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), सीपीएसई की स्थापना भारत में कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 1971 में हुआ। प्रारंभ में भापनि ने छोटे व्यापार एजेंसी के रूप में अपना क्रिया-कलाप प्रारंभ किया किंतु इसके उपरांत धीरे-धीरे इसने भारत के जूट उगाही क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अभी यह सफलतापूर्वक भारत के 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश) में फैला हुआ है। भापनि अपने 110 विभागीय क्रय केंद्र एवं 14 क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय लीड डीपीसीज के साथ-साथ कोलकाता में प्रधान कार्यालय के माध्यम से क्रिया-कलाप करता है।

भापनि जूट की खरीद करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलापों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है एवं वह कच्चे जूट के बाजार में स्थिरता लानेवाला एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भापनि के मूल्य समर्थन क्रिया-कलापों में एमएसपी पर कृषकों, सामान्यत: छोटे एवं उपांतिक (मार्जिनल) कृषकों से कच्चे जूट की खरीददारी करना शामिल है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना है और जब कच्चे जूट का चालू बाजार मूल्य एमएसपी स्तर पर या उससे नीचे रहता है। ये क्रिया-कलापें अधिक आपूर्ति को रोकते हुए बाजार में कल्पित बफर को सृजित करने में मदद करते हैं ताकि कच्चे जूट के मूल्यों में अंतर-मौसमी चंचलता रुक सके। यह जमीनी मूल्य भी प्रदान करता है जिस पर जूट कृषक अपने उत्पाद को बेच सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप (एमएसपी) के अलावा भापनि कच्चे जूट का वाणिज्यिक क्रिया-कलाप, विविध जूट उत्पादों में व्यापार एवं प्रमाणित जूट बीज का वितरण भी करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.1 लेखाकरण का आधार और वित्तीय विवरणियों की तैयारी

लेखा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखाकरण सिद्धांत, लागू लेखाकरण मानकों के साथ सभी सामग्री में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को निगम के सामान्य परिचालन परिधि एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में विस्थापित अन्य मानदंड के अनुसार चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत रिवाज के अंतर्गत एकीकृत के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने में अपनाये गये लेखाकरण नीतियां विगत वर्ष के समान हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं मूल्यह्रास:

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को मूल्यह्रास बाद कर अर्जन के लागत पर दिखाया गया है।

ii) लीजहोल्ड परिसर की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है।

iii) लीजहोल्ड परिसर के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास को उपयोगी जीवन पर सीधी तौर पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित तरीके से दिखाया गया है।

iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अंतर्गत कंप्यूटर में अंतिम उपयोगकर्ता डिवाइस के रूप में मोबाइल फोन शामिल हैं।

2.3 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां और परिशोधन

i) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां जैसे कंप्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसाकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक 26 में परिभाषित किया गया है, को परिशोधन बाद कर अर्जन के लागत पर दर्शाया गया है।

ii) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 26 के अनुरूप उसके व्यवहारिक जीवन पर विचार करते हुए पांच वर्ष से दस वर्ष तक के लिए सीधे लाइन पर परिशोधित किया गया है।

2.4 वस्तुसूचियां

i) क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत उसके वजन के औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

ii) जूट विविध वस्तुओं का कीमत उसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

iii) जूट बीज का कीमत उसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

iv) लेखा में कच्चे जूट के स्टॉक की मात्रा को 180 किलोग्राम प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

2.5 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद जिसमें नकद हाथ में, बैंकों में जमा शेष राशि जो नकद राशि में परिवर्तनीय पढ़ा जाता है, सम्मिलित है और वह परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन है।

2.6 नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकद प्रवाहों का रिपोर्ट किया जाता है जिसके द्वारा अपवादी एवं असाधारण मदों व कर से पहले नकद प्रवृति के लेन-देन के लिए लाभ को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नकद प्रवाह निगम के परिचालन, निवेश एवं वित्तीय क्रिया-कलापों से अलग रहता है एवं लेखाकरण मानक 3 का अनुपालन किया जाता है।

2.7 कर्मचारियों को लाभ

i) ग्रेच्युटी

ए) नियमित कर्मचारीगण

निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ग्रुप ग्रेच्युटी निधि में नियमित अंशदान करता है एवं इस निधि से नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता दी जाती है।

बी) आकस्मिक कर्मचारीगण, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट कर्मचारीगण

निगम वास्तविक मूल्य के आधार पर वित्तीय विवरण में आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट कर्मचारियों के ग्रेच्युटी हेतु देयता प्रदान करता है एवं निगम द्वारा आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी देयताएं दी जाती है।

सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय है जिसका अधिकतम सीमा 20 लाख रु. है। कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु 58 वर्ष है। भविष्य में होनेवाली वेतन वृद्धि को लेखा में दर्शाया जाता है जब देयता की गणना की जाती है। मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन में उचित ढंग से विचारा गया है। बीमांकिक मूल्यांकनों में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

ii) छुट्टी भुनाने का लाभ (अनिधिक)

निगम नियमित कर्मचारियों को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत होने पर वर्तमान कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ को वित्तीय विवरणी में अंतिम तिथि पर देयता प्रदान करता है।

बीमांकिक मूल्यांकन में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

iii) कर्मचारियों को भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि

भविष्यनिधि एवं पेंशन निधि के अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों ने सेवा दी है। भविष्यनिधि के अंशदान भारतीय पटसन निगम लि. के अंशदायी भविष्यनिधि ट्रस्ट के पास जमा होता है। कर्मचारियों के भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के पास जमा होता है।

iv) छुट्टी यात्रा रियायत

जब कभी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जाता है तब उसे लेखा में दर्शाया जाता है।

2.8 राजस्व अभिज्ञान:

वित्तीय विवरण तैयार करने में आय/व्यय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष उस राशि की वसूली/भुगतान साधारणतया निश्चित मालूम पड़ता है और/या निपटाई जाती है। निम्निलिखित मामलों के लिए आय/व्यय की मान्यता वास्तविक वसूली/या निपटान पर दी गई है।

(ए) लिखित ऋणों पर ब्याज आय यदि कुछ हो।

(बी) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज यदि कुछ हो।

(सी) बीमा कंपनियों एवं अन्य एजेंसियों के पास दर्ज की गई अस्थायी दावे यदि कुछ हो।

(डी) ढुलाई लागत यदि कुछ हो।

(ई) एमएसपी क्रिया-कलाप के लिए सरकार से आर्थिक सहायता को उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है, यदि वह अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने से पहले प्राप्त होता है। यदि आर्थिक सहायता का सरकारी अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने के उपरांत प्राप्त होता है तब लेखा में उचित टिप्पणी के साथ उसे अनुमोदन प्राप्त होनेवाले वर्ष में दर्शाया जाता है।

2.9 वेतनमान का संशोधन करने के लिए देयता

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन/बढ़ोतरी के लिए देयता को उस वर्ष में ही मान्यता दी जाती है जिस वर्ष सरकार उसे अनुमोदित करता है तथा/या निगम को अधिसूचित करता है।

2.10 पूर्व अवधि का समायोजन

विगत वर्ष से संबंधित 10,000 रु. से अधिक का व्यक्तिगत लेन-देन को पूर्व अवधि का समायोजन लेखा के अंतर्गत दिखाया गया है।

2.11 चालू एवं आस्थगित कर हेतु प्रावधान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार योग्य लाभ पर विचार करने के उपरांत चालू कर के लिए प्रावधान बना है।

आस्थगित कर को वर्ष के कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच अंतर होने की वजह से समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है और संभवत: एक या उससे अधिक वार आगामी अवधि में उल्टा हो जाता है (एएस 22 के अनुरूप)।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्ति को खराब के रूप में समझा गया जब परिसंपत्तियों को ढुलाई लागत उसकी वापसी योग्य कीमत से अधिक हो गया। हानि को वर्ष के लाभ-हानि खाता में दिखाया गया है जिसमें परिसंपत्ति को खराब के रूप में चिह्नीत किया गया है। यदि वापसी योग्य कीमत का आकलन करने में परिवर्तन हुआ है तो लेखाकरण अवधि के पूर्व मान्यता दी गई हानि में उलट-फेर हुई है।

2.13 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियां

विगत घटनाओं के फलस्वरूप जब वर्तमान दायित्व रहता है तब मापने में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधान को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि यह संसाधन से बाहर होगा। प्रासंगिक देयताओं को मान्यता दी गई है एवं उसे टिप्पणी में दिखाया गया है। प्रासंगिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणियों में दिखलाया गया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

3(ए): शेयर पूंजी

	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
प्राधिकृत				
100 रु. के प्रत्येक शेयर की 5,00,000 इक्वीटी शेयर		5,00,00,000		5,00,00,000
		5,00,00,000		**5,00,00,000**
जारी, अभिदत्त एवं चुकता				
100 रु. के प्रत्येक शेयर की संपूर्ण चुकता 5,00,000 इक्वीटी शेयर		50,000,000		50,000,000
		50,000,000		**50,000,000**
(ए) वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्वीटी शेयरों का समाधान				
	शेयरों की सं.	**राशि**	**शेयरों की सं.**	**राशि**
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000
वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	-	-	-	-
बाद: वर्ष के दौरान खरीदे गये शेयर	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर	**5,00,000**	**5,00,00,000**	**5,00,000**	**5,00,00,000**

(बी) इक्वीटी शेयरों के साथ संलग्न नियम और अधिकार कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी की इक्वीटी शेयर है जिसमें शेयर होल्डरों को शेयर के अनुरूप वोट देने का अधिकार है।	**शेयर होल्डर का नाम**	**31 मार्च, 2022 तक**		**31 मार्च, 2021 तक**	
(सी) कंपनी में 5% शेयरों से अधिक रखने वाले शेयर होल्डरों का ब्यौरा	**भारत के राष्ट्रपति**	**शेयर की सं.**	**होल्डिंग का %**	**शेयर की सं.**	**होल्डिंग का %**
		499998	**99.99%**	**499998**	**99.99%**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

3(बी) : आरक्षित एवं अधिशेष

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
अधिशेष				
विगत तुलन-पत्र के अनुसार	1,50,23,61,922		1,42,70,38,582	
योग : इस वर्ष का लाभ/(हानि)	(13,78,21,197)		12,15,23,340	
	1,36,45,40,725		1,54,85,61,922	
बाद : प्रदत्त लाभांश	7,76,18,100		4,62,00,000	
		1,28,69,22,625		1,50,23,61,922
शुद्ध अधिशेष		**1,28,69,22,625**		**1,50,23,61,922**

4. अन्य दीर्घावधि देयताएं

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
परियोजना निधि में जमा शेष राशि				
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)		80,32,416		76,13,076
बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग टेक्नोलॉजी		1,17,305		1,17,305
आई जे एस जी		13,94,854		14,60,630
भारत सरकार से रिबनर का विकास		1,32,10,180		1,25,25,307
जूट टेक्नोलॉजी मिशन		21,67,73,695		20,90,12,348
अन्यान्य गैर-प्रचलित देयताएं				
बयाना राशि जमा		24,99,187		17,04,223
प्रतिभूति जमा राशि		16,55,057		9,59,809
व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता		1,19,64,431		3,61,72,219
ग्राहकों से अग्रिम		58,61,585		62,61,257
जेटीएम से अग्रिम		10,27,010		10,27,011
पायलट प्रोजेक्ट्स खाता		47,748		47,748
प्रोजेक्ट डेकोर्टिकेटर मशीन		10,88,417		10,88,417
प्रोजेक्ट संतृप्ति		48,38,462		48,38,462
कुल		**26,85,10,347**		**28,28,27,812**

5. दीर्घावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान				
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)		3,08,26,892		3,81,45,869
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)		5,56,68,808		7,64,39,927
कुल		**8,64,95,700**		**11,45,85,796**

6. अल्पावधि उधार

अन्य दीर्घावधि देयताएं	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
भारतीय सेंट्रल बैंक से नकदी ऋण		2,421		-
पंजाब नेशनल बैंक से नकदी ऋण		-		-
कुल		**2,421**		**-**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

7: व्यापारिक देय

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		66,18,761		56,22,978
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि		8,74,45,892		9,60,38,894
कुल		**9,40,64,653**		**10,16,61,872**

7.1: व्यापारिक देय पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2022 को

ब्यौरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	65,86,871	31,890	-	-	66,18,761
अन्यान्य	8,58,53,364	4,42,769	-	11,49,759	8,74,45,892

7.2: व्यापारिक देय पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2021 को

ब्यौरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	56,20,041	2,937	-	-	56,22,978
अन्यान्य	9,25,80,833	3,767	-	34,54,294	9,60,38,894

8: अन्य चालू देयताएं

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
सांविधिक बकाया :				
पेंशन निधि देय		7,03,261		12,33,212
ईएसआई देय		78,210		70,435
भविष्य निधि देय		-		45,05,070
टीसीएस देय		8,514		2,59,496
टीडीएस देय		21,31,324		24,96,523
प्रोफेशन टैक्स देय		35,702		38,136
जीएसटी देय		1,65,192		-
अन्य बकाया:				
बयाना राशि जमा		14,00,358		40,08,452
प्रतिभूति जमा राशि		2,51,43,220		1,11,36,931
प्रतिधारण राशि		83,19,395		70,56,085
व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता		7,33,68,911		9,04,34,864
परियोजना आई-केयर		10,78,27,768		7,46,26,573
ग्राहकों से अग्रिम		2,58,66,743		2,61,43,577
देय दावे		27,40,631		62,88,466
कुल		**24,77,89,229**		**22,82,97,820**

9: अल्पावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान				
बोनस	22,15,179		11,64,278	
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	1,61,10,737		3,21,42,121	
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	88,19,219		1,12,82,040	
		2,71,45,135		**4,45,88,439**
कुल		**2,71,45,135**		**4,45,88,439**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि रुपये में)

मूर्त परिसंपत्ति	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	31.03.2021 को	योग	लोप/ समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2021 को	योग वर्ष के लिए	लोप/ समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
पट्टे पर परिसर	2,59,98,440	-	-	2,59,98,440	55,49,266	5,74,081	-	61,23,347	1,98,75,093	2,04,49,174
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	46,45,667	3,900	3,63,579	42,85,988	43,62,641	41,800	3,56,152	40,48,289	2,37,699	2,83,026
कार्यालय का सामान	17,48,837	1,35,900	26,179	18,58,558	14,87,826	82,474	25,254	15,45,046	3,13,512	2,61,011
डीपीसी का सामान	17,22,307	74,277	4,160	17,92,424	9,41,239	56,707	1,163	9,96,783	7,95,641	7,81,068
कंप्यूटर	86,88,879	28,29,383	23,20,147	91,98,115	73,57,798	0,43,259	22,78,587	61,22,470	30,75,645	13,31,081
विद्युत संस्थापन	4,95,688	-	4,23,443	72,245	4,67,569	903	4,02,426	66,046	6,199	28,119
वातानुकूलित यंत्र	6,00,045	-	3,78,392	2,21,653	5,63,270	12,934	3,65,634	2,10,570	11,083	36,775
साइकिलें	1,32,357	-	16,579	1,15,778	1,32,357	-	16,579	1,15,778	-	-
कुल(ए)	**4,40,32,220**	**30,43,460**	**35,32,479**	**4,35,43,201**	**2,08,61,966**	**18,12,158**	**34,45,795**	**1,92,28,329**	**2,43,14,872**	**2,31,70,254**
अमूर्त परिसंपत्ति										
कंप्यूटर साफ्टवेयर	5,58,088	-	-	5,58,088	3,19,523	1,06,500	-	4,26,023	1,32,065	2,38,565
वेबसाइट	1,14,750	-	-	1,14,750	5,451	23,237	-	28,688	86,062	1,09,299
ट्रेड मार्क	59,500	-	-	59,500	1,187	6,013	-	7,200	52,300	58,313
कुल(बी)	**7,32,338**	**-**	**-**	**7,32,338**	**3,26,161**	**1,35,750**	**-**	**4,61,911**	**2,70,427**	**4,06,177**
चालू वर्ष (ए+बी)	**4,47,64,558**	**30,43,460**	**35,32,479**	**4,42,75,539**	**2,11,88,127**	**19,47,908**	**34,45,795**	**1,96,90,240**	**2,45,85,299**	**2,35,76,431**
विगत वर्ष	4,36,44,671	11,86,112	66,225	4,47,64,558	1,95,80,834	16,65,333	58,040	2,11,88,127	2,35,76,431	2,40,63,837

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

11. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
प्रतिभूति जमा राशि				
असुरक्षित, खारा समझा गया		73,297		57,590
कुल		**73,297**		**57,590**

12. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
अन्य पार्टियों को अग्रिम				
असुरक्षित एवं खारा समझा गया	41,32,910		42,12,347	
असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया	1,96,595		5,38,788	
बाद : रखे गये प्रावधान	(1,96,595)	41,32,910	(5,38,788)	42,12,347
कुल		**41,32,910**		**42,12,347**

13. वस्तुसूची

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन		53,06,601		1,46,82,236
कच्चा जूट - वाणिज्यिक		2,28,30,389		11,24,52,284
जूट बीज		1,79,53,205		3,14,34,920
जूट विविध उत्पाद		33,08,814		35,29,482
कुल		**4,93,99,009**		**16,20,98,922**

14. व्यापारिक प्राप्य

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
छ: महीने से अधिक का बकाया				
असुरक्षित, खारा समझा गया	95,43,400		51,80,905	
असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया	3,72,714		3,84,487	
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	(3,72,714)	95,43,400	(3,84,487)	51,80,905
अन्यान्य		11,31,675		7,23,44,930
कुल		**1,06,75,075**		**7,75,25,835**

14.1: व्यापारिक प्राप्य पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2022 को

ब्यौरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	छ: महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
निर्विवाद खारा समझा गया	11,31,765	9,92,114	39,65,466	9,80,391	36,05,429
निर्विवाद संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	3,72,714

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

14.2: व्यापारिक प्राप्य पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2021 को

ब्यौरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	छ: महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
निर्विवाद खारा समझा गया	7,23,44,930	-	13,49,800	3,25,720	35,05,385
निर्विवाद संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	3,84,487

15. नकद एवं नकद के समतुल्य

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
नकद एवं नकद के समतुल्य				
बैंक में जमा शेष राशि:				
चालू खाते में		9,55,44,252		8,33,41,221
बचत खाते में		14,74,81,624		10,38,99,256
सावधि जमा खाते में		1,63,93,92,595		1,34,30,47,902
हाथ में नकद		7,69,805		19,77,419
कुल		**1,88,31,88,276**		**1,53,22,65,798**

16. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
नकद या इसी प्रकार में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम राशि				-
स्टॉफ को अग्रिम		1,47,499		4,42,789
अन्य पार्टियों को अग्रिम				
असुरक्षित एवं खारा समझा गया		9,24,486	-	15,89,918
प्रीपेड खर्चे		33,72,411		33,48,102
सीपीएफ ट्रस्ट को अग्रिम		1,72,99,132		-
जीएसटी प्राप्य		-		2,28,801
अग्रिम आयकर	85,48,83,367		82,81,42,107	
बाद: आयकर के लिए प्रावधान				
विगत लेखानुसार जमा शेष राशि	80,96,15,325		(76,76,81,630)	
वर्ष के दौरान योग	-		(4,19,33,695)	
		4,52,68,042	(80,96,15,325)	1,85,26,782
कुल		**6,70,11,570**		**2,41,36,392**

17. अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
अर्जित ब्याज किंतु बकाया नहीं		2,09,14,533		45,64,830
भारत सरकार से प्राप्ति योग्य आर्थिक सहायता		-		49,49,00,000
प्राप्ति योग्य बीमा दावे		9,50,141		9,85,516
कुल		**2,18,64,674**		**50,04,50,346**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

18 . संचालन से राजस्व

ब्यौरा	31.03.2022 को	31.03.2021 को
विक्रय - मूल्य समर्थन	2,04,88,951	11,65,98,037
विक्रय - वाणिज्यिक	20,17,74,161	94,87,65,733
विक्रय - जूट विविध उत्पाद	87,61,143	1,93,20,665
विक्रय - जूट विविध उत्पाद (निर्यात)	24,72,960	-
विक्रय - जूट का पौधा	1,30,000	-
विक्रय - जूट बीज	7,98,66,893	8,15,82,646
बाद : दावे का भुगतान किया गया	(4,70,099)	(85,07,477)
	31,30,24,009	**1,15,77,59,604**
18.1 अन्य संचालन वाले राजस्व		
भारत सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	24,54,00,000	33,50,00,000
कुल	**55,84,24,009**	**1,49,27,59,604**

19. अन्य आय

ब्यौरा	31.03.2022 को	31.03.2021 को
ब्याज आय	5,88,62,199	4,66,23,748
ढुलाई लागत (मूल्य समर्थन)	3,48,419	2,85,957
देयता को अब लिखने की आवश्यकता नहीं	3,49,71,277	25,40,034
बीमा दावे	1,14,238	46,31,406
विविध आय	46,45,428	14,77,462
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)	36,31,099	14,66,933
कुल	**10,25,72,660**	**5,70,25,540**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

20. व्यापारिक वस्तुओं का लागत एवं प्रत्यक्ष खर्चे

ब्यौरा	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क्रय		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	26,27,265	3,28,67,052
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	7,08,81,738	84,73,81,345
विविध जूट उत्पाद	89,00,600	1,78,60,622
जूट का पौधा	45,000	-
जूट बीज	7,45,83,305	10,39,47,540
उप-कुल (ए)	**15,70,37,908**	**1,00,20,56,559**
प्रत्यक्ष खर्चे		
संचालन खर्चे	22,88,324	2,08,31,482
कर एवं लेवी	83,19,443	10,44,648
उप-कुल (बी)	**1,06,07,767**	**2,18,76,130**
कुल	**16,76,45,675**	**1,02,39,32,689**

21. व्यापारिक वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन

ब्यौरा	31.03.2022 को	31.03.2021 को
प्रारंभिक स्टॉक		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	1,46,82,236	7,27,28,889
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	11,24,52,284	6,78,92,526
जूट बीज	3,14,34,920	53,24,040
जूट विविध उत्पाद	35,29,482	27,77,005
कुल	**16,20,98,922**	**14,87,22,460**
अंतिम स्टॉक		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	53,06,601	1,46,82,236
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	2,28,30,389	11,24,52,284
जूट बीज	1,79,53,205	3,14,34,920
जूट विविध उत्पाद	33,08,814	35,29,482
कुल	**4,93,99,009**	**16,20,98,922**
शुद्ध (वृद्धि)/कमी	**11,26,99,913**	**(1,33,76,462)**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

22. कर्मचारी हित खर्चे

ब्यौरा	31.03.2022 को	31.03.2021 को
वेतन एवं भत्ते	12,34,25,861	14,65,68,486
मजदूरी	6,81,16,261	7,30,05,823
निदेशकों का पारिश्रमिक	68,21,163	44,52,764
बोनस	23,71,498	5,16,187
किराया आवासीय	4,50,190	4,27,000
पेंशन निधि में निगम का अंशदान	36,43,273	44,60,227
ग्रेच्युटी निधि में निगम का अंशदान	56,67,946	3,52,46,754
भविष्य निधि में निगम का अंशदान	1,02,56,270	1,29,13,685
ईएसआई में निगम का अंशदान	5,43,053	5,38,446
स्टॉफ कल्याण खर्चे	31,52,561	44,29,828
सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने का लाभ	(1,34,14,605)	30,71,844
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	52,49,117	63,26,515
सीपीएफ का प्रशासनिक प्रभार	2,27,736	2,45,953
अवकाश यात्रा व्यय	5,48,872	19,676
कुल	**21,70,59,196**	**29,22,23,188**

23. वित्तीय लागत

ब्यौरा	31.03.2022 को	31.03.2021 को
नकद ऋण पर ब्याज	2,723	1,020
कुल	**2,723**	**1,020**

24. मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे

ब्यौरा	31.03.2022 को	31.03.2021 को
मूल्यह्रास	19,47,908	16,65,333
कुल	**19,47,908**	**16,65,333**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

25. अन्य खर्चे

ब्यौरा	31.03.2022 को	31.03.2021 को
छपाई एवं लेखन सामग्री	10,75,027	7,69,807
विद्युत प्रभार	12,45,052	12,61,025
भाड़ा	20,05,546	16,60,908
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण	1,44,45,018	1,27,03,660
मरम्मत एवं नवीनीकरण	44,43,568	30,52,947
कार्यालय का रख-रखाव खर्च	4,60,350	5,47,584
महसूल एवं कर	81,073	1,09,176
बीमा	42,18,429	46,94,200
यात्रा एवं यातायात	33,77,756	29,31,537
विधि एवं पेशेवर शुल्क	13,88,154	18,20,170
भाड़ा	39,52,075	2,28,59,143
जीएसटी	3,07,823	2,45,542
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2,84,970	2,71,400
अन्य लेखापरीक्षा शुल्क	1,76,825	3,34,720
दूरभाष एवं इंटरनेट प्रभार	11,71,758	6,40,540
डाक एवं कोरियर	82,704	1,04,851
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	95,964	85,187
मनोरंजन	88,650	37,906
सम्मेलन एवं बैठक खर्चे	5,06,264	5,85,768
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चे	27,29,998	34,52,250
विज्ञापन एवं प्रचार	3,52,070	2,98,104
कार खर्चे	39,88,724	30,50,403
अनुसंधान एवं विकास	4,00,000	-
बैंक प्रभार	62,136	2,30,480
कूल	**4,69,39,934**	**6,17,47,308**

26. विविध खर्चे

ब्यौरा	31.03.2022 को	31.03.2021 को
मानदेय एवं अन्य शुल्क	24,000	13,450
क्षे.का. खर्चे एवं प्र.का. खर्चे	49,41,736	2,33,37,910
सुरक्षा गार्ड खर्चे	1,56,781	2,96,368
कूल	**51,22,517**	**2,36,47,728**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

27. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित प्रकटीकरण

i. ग्रेच्युटी (नियमित)

एलआईसीआई द्वारा की गई मांग के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने नियमित कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 90,41,146 रु. (विगत वर्ष 2,44,64,884 रु.) का भुगतान किया है।

ii. ग्रेच्युटी (आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट)

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 3,96,46,111 रु. (विगत वर्ष 4,94,27,909 रु.) प्रदान किया है। वास्तविक अंगीकार का आधार निम्न प्रकार हैं:

मूल्यांकन करने का आधार

	31.03.2022	31.03.2021
छूट की दर प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि)	6.25%	5.85%
वेतन में वृद्धि दर	14.00%	14.00%
कर्मचारियों का कार्य जीवन अनुमानित औसतन रहेगा	20.29 वर्ष	19.21 वर्ष

iii. छुट्टी भुनाने का लाभ

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर नियमित कर्मचारियों के लिए उनकी छुट्टी भुनाने की देयता राशि 7,17,79,545 रु. (विगत वर्ष 10,85,82,048 रु.) प्रदान किया है।

28. प्रासंगिक देयताएं

प्रासंगिक देयताओं (महत्वपूर्ण देयताओं को छोड़कर, यदि उसपर कुछ हो तो) को लेखा में नहीं दर्शाया गया है:

क्र. सं.	ब्यौरा	31.03.2022 (रु.)	31.03.2021 (रु.)
1.	निगम के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	17,77,08,598/-	16,31,40,273/-
2.	अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है।	15,04,94,790/-	14,20,92,730/-

अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है, में कंपनी द्वारा विवादित आयकर की मांग की कुल राशि 1504.95 लाख रु. (विगत वर्ष 1420.93 लाख रु.) शामिल है। यह मामला निर्धारण अधिकारी/सीआईटी(ए)/आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष सुधार करने/अपील के अधीन है एवं कंपनी अपने पक्ष में अपील का फैसला सुनने के लिए आशान्वित है।

29. सीएसआर खर्चे

कंपनी ने वर्ष के दौरान 27,29,998 रु. (विगत वर्ष 34,52,250 रु.) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए खर्च किया है जो कंपनी के सीएसआर की नीति के अनुरूप है और उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर खर्चे - 11,65,248/- रु.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर खर्चे - 14,64,750/- रु.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर खर्चे - 1,00,000/- रु.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 38.52 लाख रु. का कुल सीएसआर बजट (विगत वर्ष 46.17 लाख रु.) है जिसमें से अव्ययित राशि 26.87 लाख रु. को वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च करने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 के अव्ययित सीएसआर बजट की राशि 2.00 लाख रु. में से 1 लाख रु. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खर्च किए गए थे। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के अव्ययित सीएसआर बजट की राशि 16.65 लाख रु. में से 14.65 लाख रु. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खर्च किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम द्वारा निम्नलिखित अव्ययित राशि खर्च करने की योजना है:

2019-20 1.00 लाख रु.

2020-21 2.00 लाख रु.

2021-22 26.87 लाख रु.

30. परियोजनाओं से संबंधित प्रकटन

जूट प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान हेतु:

परियोजना का नाम		(31 मार्च, 2022 तक)			
		प्राप्त राशि	अर्जित ब्याज	संवितरण	बकाया शेष राशि
(ए)	जूट की गुणवत्ता में सुधार (रेटिंग टेक्नोलॉजी)	40,00,000	66,87,218	26,54,802	80,32,416
		(40,00,000)	(62,67,878)	(26,54,802)	(76,13,076)
(बी)	मैनुअल/पावर ड्राइवन रिबनर मशीन का विकास	34,00,000	1,12,75,514	14,65,334	1,32,10,180
		(34,00,000)	(1,05,84,703)	(14,59,396)	(1,25,25,307)
(सी)	बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग	9,00,000	-	7,82,695	1,17,305
		(9,00,000)	-	(7,82,695)	(1,17,305)
(डी)	जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)	60,05,00,000	19,04,91,167	57,42,17,472	21,67,73,695
		(60,05,00,000)	(18,27,29,820)	(57,42,17,472)	(20,90,12,348)

उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा हुआ है।

31. निदेशकों का परिश्रमिक नीचे समाविष्ट किया गया है जो लेखा से संबंधित शीर्षक के नामें हैं:

		31.03.2022 (रु.)	31.03.2021 (रु.)
ए.	वेतन	67,31,163/-	42,32,764/-
बी.	भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी में अंशदान	7,13,304/-	4,32,740/-
सी.	भाड़ा आवासीय	4,50,190/-	4,27,000/-
डी.	अन्यान्य	5,16,903/-	1,68,415/-
ई.	बैठक शुल्क	90,000/-	2,20,000/-
कुल		**85,01,560/-**	**54,80,919/-**

32. निगम के प्रति शेयर उपार्जन को निम्न प्रकार से परिकलित किया गया है:

	31.03.2022 (रु.)	31.03.2021 (रु.)
वर्ष का (हानि)/लाभ	(13,78,21,197)	12,15,23,340
इक्वीटी शेयर की सं. का औसतन वजन	5,00,000	5,00,000
प्रति शेयर उपार्जन (मूल और मिश्रित)	-276	243

33. आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) – विगत वर्ष से डीटीए की समीक्षा को लाया गया है और चालू वर्ष में डीटीए को मान्यता दी गई है।

लेखाकरण मानक-22 में प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर डीटीए की वहन राशि की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है। यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि डीटीए को मान्यता दिया जाएगा और आगे लाया जाएगा, यदि पर्याप्त कर योग्य आय सही रूप में उचित हो जिसके विरूद्ध ऐसे डीटीए को वसूला जा सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप का संचालन करना है और यह कच्चे जूट के बाजार मूल्य की अस्थिरता पर निर्भर करता है। यहां तक कि यदि एमएसपी क्रिया-कलाप होता है तो भी यह निश्चित नहीं है कि निगम एक सकारात्मक मार्जिन के साथ एमएसपी में शामिल लागत को वसूल करने में सक्षम होगा क्योंकि वह समय-समय पर लागू होने वाले सरकारी निर्णय/नीति पर पूरी तरह निर्भर है। यद्यपि भारत सरकार सामान्य रूप से एमएसपी की कुछ लागत को पूरा करने के लिए निगम को प्रीफिक्सड वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रदान करता है लेकिन यह दोनों बुनियादी ढांचे की लागत एवं जूट की खरीद एवं संबंधित क्रिया-कलापों की लागत को पूरा करने में पर्याप्त नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह सठीक रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होने का कोई उचित कारण नहीं है जो किसी भी पहले का और मान्यता प्राप्त डीटीए वसूला जा सके।

34. भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटन निम्न प्रकार हैं:

ब्यौरा	संबंधित पार्टी का नाम
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1. श्री अजय कुमार जॉली, (प्रबंध निदेशक – 01.04.2021 से 31.01.2022), (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – 01.02.2022 से)
	2. श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त)
	3. श्री अभिक साहा, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक):

लेन-देन की प्रवृत्ति	संबंध	राशि रु. में	
		2021-22	2020-21
वेतन (मकान किराया सहित)			
श्री अजय कुमार जॉली	(प्रबंध निदेशक – 01.04.2021 से 31.01.2022), (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – 01.02.2022 से)	43,38,260	41,00,717
श्री अमिताभ सिन्हा	निदेशक(वित्त)	40,73,300	11,60,202
श्री अभिक साहा	कंपनी सचिव	15,99,068	14,60,340

35. व्यापार की गई सामानों से संबंधित सूचना

		2021-2022			2020-2021		
	ब्यौरा	**गांठ**	**क्विं.**	**राशि (रु. में)**	**गांठ**	**क्विं.**	**राशि (रु. में)**
(ए)	**क्रय**						
	कच्चा जूट	7,191	12,944	7,35,09,003	91,129	1,64,033	88,02,48,397
	जूट बीज		6,171.95	7,45,83,305		9,631.97	10,39,47,540
	विविध जूट उत्पाद			89,00,600			1,78,60,622
	जूट का पौधा			45,000			
		7,191	**19,115.95**	**15,70,37,908**	**91,129**	**1,73,664.97**	**100,20,56,559**
(बी)	**विक्रय**						
	कच्चा जूट	17,008	30,615	22,17,93,013	99,043	1,78,277	105,68,56,293
	जूट बीज		6,572.34	7,98,66,893		7,513.70	8,15,82,646
	विविध जूट उत्पाद			1,12,34,103			1,93,20,665
	जूट का पौधा			1,30,000			
		17,008	**37,187.34**	**31,30,24,009**	**99,043**	**1,85,790.70**	**115,77,59,604**
(सी)	**प्रारंभिक स्टॉक**						
	कच्चा जूट	12,711	22,881	12,71,34,520	20,625	37,125	14,06,21,415
	जूट बीज		2,857.72	3,14,34,920		739.45	53,24,040
	विविध जूट उत्पाद			35,29,482			27,77,005
		12,711	**25,738.72**	**16,20,98,922**	**20,625**	**37,864.45**	**14,87,22,460**

(डी)	**अंतिम स्टॉक**						
	कच्चा जूट	2,894	5,210	2,81,36,990	12,711	22,881	12,71,34,520
	जूट बीज		2,457.33	1,79,53,205		2,857.72	3,14,34,920
	विविध जूट उत्पाद			33,08,814			35,29,482
		2,894	**7,667.33**	**4,93,99,009**	**12,711**	**25,738.72**	**16,20,98,922**
(ई)	**कच्चे जूट के वजन में (कमी)/वृद्धि**	(552)	(993)	0	(777)	(1,399)	0

लेखा में स्टॉक की मात्रा को 180 कि.ग्रा. प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

36. अन्य पार्टियों को अग्रिम में पार्टियों से प्राप्य 5,32,181 रु. को शामिल किया गया है जिसका साफ्टवेयर की त्रुटि की वजह से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक/त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ था। अभी 89,869 रु. की वसूली हुई है एवं 15.08.2022 तक 4,42,312 रु. बकाया है।

37. नीचे उल्लिखित निम्नलिखित अनुपात को लेखा टिप्पणी में संलग्न किया गया है।

(ए)	चालू अनुपात	(बी)	ऋण-इक्विटी अनुपात	(सी)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात
(डी)	इक्विटी अनुपात पर वापसी	(ई)	वस्तुसूची के कुल कारोबार का अनुपात	(एफ)	प्राप्य व्यापार के कुल कारोबार का अनुपात
(जी)	देय व्यापार के कुल कारोबार का अनुपात	(एच)	शुद्ध पूंजी के कुल कारोबार का अनुपात	(आई)	शुद्ध लाभ का अनुपात
(जे)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	(के)	निवेश पर रिटर्न		

संलग्न संलग्नक के अनुसार

38. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से खरीदे गए कुल प्रमाणित जूट बीजों में से 97.97 मीट्रिक टन को अगस्त 2021 में पुनर्वैधीकरण के लिए भेजा गया था। उपरोक्त बीजों की मात्रा की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी थी और 31.03.2022 को उसका कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं था। इसलिए उक्त स्टॉक का मूल्य शून्य माना गया है।

39. "अन्य चालू परिसंपत्तियों" के प्रारंभिक जमा शेष राशि में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 से संबंधित भारत सरकार से अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्य 49.49 करोड़ रुपये शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 24.75 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया था और शेष जमा राशि के प्रस्ताव को एसएफसी 2021-26 के अंतर्गत अनुमोदित नहीं किया गया था। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभ-हानि खाते में 24.74 करोड़ रुपये की शेष राशि आपवादिक मदों के रूप में लिखी गई है।

40. **रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लाभांश को मान्यता नहीं दी गई है:**

निदेशकगण ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उस वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा उठाए गए हानि पर विचार करते हुए अपने शेयरधारक यानी भारत सरकार को किसी भी लाभांश (विगत वर्ष 155.24 रु. प्रति शेयर) की संस्तुति नहीं की है। लाभांश के रूप में कुल व्यय शून्य होगा (विगत वर्ष 7,76,18,100/- रुपये)।

41. जहां भी जरूरत पड़ा है वहां विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है। कोष्टक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं।

42. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के आवश्यकतानुसार दी जानेवाली अपेक्षित अन्य सूचना को शून्य पढ़ा जाए।

वास्ते **एस.के. मल्लिक एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(सौमित्र घोष)	**(अभिक साहा)**	**(अमिताभ सिन्हा)**	**(अजय कुमार जॉली)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं.055467)		डीआईएन : 09022866	डीआईएन : 08427305

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.08.2022

अंतर्देशीय कच्चा जूट - मूल्य समर्थन

	2021-2022		2020-2021	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	1,598	2,04,45,616	13,403	11,56,66,942
ढुलाई खर्च		3,48,419		2,85,957
देयता अब बट्टे खाते में आवश्यक नहीं		3,49,71,277		25,40,034
ब्याज आय		5,87,81,697		4,65,47,521
बीमा दावे		1,14,238		16,39,450
विविध आय		46,45,428		14,77,462
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)		32,44,912		10,57,882
सरकार से अनुदान/आर्थिक सहायता		24,54,00,000		33,50,00,000
वजन में कमी	114	-	783.00	-
अंतिम स्टॉक	702	53,06,601	2,084	1,46,82,236
शुद्ध हानि		15,49,44,291		
	2,414	**52,82,02,479**	**16,270**	**51,88,97,484**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	2,084	1,46,82,236	11,740	7,27,28,889
क्रय	330	26,27,265	4,483	3,28,67,052
कर एवं लेवी		2,97,343		39,005
भाड़ा		1,16,403		24,44,634
परिचालन खर्चे		67,026		7,59,180
कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान		21,70,59,196		29,22,23,188
अन्य प्रशासनिक खर्चे		2,69,68,459		4,31,34,833
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार		2,723		1,020
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण		1,64,50,564		1,43,64,568
बीमा		2,75,533		13,20,132
मूल्यह्रास		19,47,908		16,65,333
जीएसटी		3,07,823		2,45,542
बट्टे पर अनुदान/आर्थिक सहायता		24,74,00,000		
वजन में वृद्धि	-	-	47	-
शुद्ध लाभ				5,71,04,108
	2,414	**52,82,02,479**	**16,270**	**51,88,97,484**

अंतर्देशीय कच्चा जूट - वाणिज्यिक

	2021-2022		2020-2021	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	14,858	20,13,47,397	83,945	94,11,89,351
बीमा दावे		-		29,91,956
वजन में कमी	438	-	912	-
अंतिम स्टॉक	2,192	2,28,30,389	10,627	11,24,52,284
	17,488	**22,41,77,786**	**95,484**	**1,05,66,33,591**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	10,627	11,24,52,284	8,885	6,78,92,526
क्रय	6,861	7,08,81,738	85,728	84,73,81,345
अंतर्देशीय कच्चा जूट मूल्य समर्थन से स्थानांतरण	-	-	-	-
कर एवं लेवी		80,22,100		10,05,643
भाड़ा		31,40,468		1,98,92,146
परिचालन खर्चे		18,08,309		1,95,73,237
बीमा		27,13,433		27,23,669
वजन में वृद्धि	-	-	871	-
शुद्ध लाभ		2,51,59,454		9,81,65,025
	17,488	**22,41,77,786**	**95,484**	**1,05,66,33,591**

जूट बीज

	2021-2022		2020-2021	
	क्विं.	रु.	क्विं.	रु.
आय				
विक्रय	6,573	7,98,66,893	7,513	8,15,82,646
सेवा प्रभार		3,86,187		4,09,051
अंतिम स्टॉक	2,457	1,79,53,205	2,858	3,14,34,920
शुद्ध हानि		88,88,806		
	9,030	**10,70,95,091**	**10,371**	**11,34,26,617**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	2,858	3,14,34,920	739	53,24,040
क्रय	6,172	7,45,83,305	9,632	10,39,47,540
जूट बीज की हैंडलिंग		550		1,14,547
भाड़ा		-		4,89,502
बीमा		10,76,316.00		5,55,155
शुद्ध लाभ				29,95,833
	9,030	**10,70,95,091**	**10,371**	**11,34,26,617**

विविध जूट उत्पाद

	2021-2022	2020-2021
	रु.	रु.
आय		
विक्रय	1,13,64,103	1,93,20,665
ब्याज	80,502	76,227
अंतिम स्टॉक	33,08,814	35,29,482
शुद्ध हानि		
	1,47,53,419	**2,29,26,374**
व्यय		
क्रय	89,45,600	1,78,60,622
प्रारंभिक स्टॉक	35,29,482	27,77,005
परिचालन खर्चे	4,12,439	3,84,518
भाड़ा	6,95,204	32,861
अन्य खर्चे	79,787	24,160
बैंक प्रभार	16,680	17,966
बीमा	1,53,147	95,244
भाड़ा एवं रख-रखाव	68,634	54,624
शुद्ध लाभ	8,52,446	16,79,374
	1,47,53,419	**2,29,26,374**

Swacch Bharat Abhiyaan at Nazirpur DPC, Nadia, WB

Celebration of Rashtriya Ekta Diwas

Inaugaration of Hindi Pakhwada at the Head Office

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A GOVERNMENT F INDIA ENTERPRISE)

15N, NELLIE SENGUPTA SARANI,

KOLKATA – 700 087.